July 7, 2000) which seeks to amend the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 so as to enhance the rate of customs duty applicable to goods falling under sub-heading No.0802.90 from 35% to "100%".

The question was put and the Motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Madhya Pradesh. Reorganisation Bill, 2000.

THE MADHYA PRADESH REORGANISATION BILL, 2000

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनगर्ठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।

महोदया, 1950 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तब तीन प्रकार के राज्य थे,पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स । उसके बाद स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भाषावार राज्यों की रचना की स्वीकृति स्वतंत्रता से पहले दी थी । उसके अनुसार भाषावार राज्य बने नही हैं, बनने चाहिए और उस कडी में पहली बार आन्ध्र प्रदेश बना था । उसके बाद धीरे-धीरे करके सरकार का मत बना कि हमको स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बनाकर बाकायदा हिन्दुस्तान के राजनैतिक नक्शे को फिर से बनाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है औऱ फिर स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बना औऱ स्टेट रि-आर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ । इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि जो स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, उसमें खाली लेंग्वेज नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी थी और भी बातें थीं, लेकिन प्रमुख केन्द्र बिंदु उस समय भाषा था। इसलिए उस समय जो नक्शा बना उसको हमेशा माना गया और भाषावार राज्यों की रचना हो गई है । मैं मानता हूं कि उस दौरान में कुछ प्रान्त बहुत बड़े बने, खासकर के हिन्दी भाषी प्रान्त। जिसके कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार - इनमें संतुलित विकास नहीं हुआ, असंतुलन हो गया । इस कारण भी कई राज्यों की मांग होती रही । मैं बाकी स्थानों पर जो राज्यों की मांगे हुई, उनका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ राज्य उसके बाद बन भी गये हैं । उनकी मांगों के अनुसार आंदोलन हुए, मांगे हुई और बन गये लेकिन इन तीन राज्यों में जिनका मैने अभी अभी जिक्र किया - झारखंड राज्य की मांग हुई । यह ठीक है कि झारखंड राज्य की मांग जब शुरू हुई तब इस रुप में हुई कि बिहार के आदिवासी जिले, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले, उड़ीसा के आदिवासी जिले औऱ पश्चिमी बंगाल के आदिवासी जिले मिलाकर झारखंड राज्य बनाया जाए । मैं उस जिस पार्टी में कार्य कर रहा था, हमको लगा कि यह व्यावहारिक नहीं है और अच्छा होगा कि इसके स्थान पर केवल दक्षिण बिहार के जिलों को अलग किया जाए और एक वनाचंल राज्य बनाया जाए। यह व्यावहारिक भी होगा और उस क्षेत्र के लिए लाभकारक भी होगा। यह इतिहास है। क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर राज्य बनाने की मांग है जबकि उस प्रदेश के बाकी हिस्से उसके खिलाफ हैं, इसीलिए हमने एक कसौटी अपने लिये रखी कि हम उस मांग का समर्थन करेंगे जहां पर उस क्षेत्र के लोग अलग

राज्य चाहेंगे और वहां की विधान सभा भी प्रस्ताव पारित करके कहेगी कि यह राज्य बनाना चाहिए। इस सरकार ने इस कसौटी को ध्यान में रख करके ही, जो हिन्दुस्तान के अलग अलग भागों में अलग अलग राज्यों की मांग हुई, उनमें से केवल तीन राज्यों को चुनकर अपने को प्रतिबद्व किया औऱ हमने अपने घोषण पत्र में भी कहा था कि हम अगर शासन में आए तो हम प्रयत्न करेंगे कि संसद ये तीन राज्य बनाए । उत्तरांचल राज्य की मांग केवल वहां की जनता ही नहीं कर रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भी उत्तरांचल की मांग का समर्थन किया है । छत्तीसगढ़ की मांग केवल छत्तीसगढ़ की जनता नहीं कर रही बल्कि छत्तीसगढ़ जिस प्रदेश का हिस्सा है, उस मध्य प्रदेश की विधान सभा ने भी उसके पक्ष में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को सिफारिश की है। इसी प्रकार से बिहार राज्य में संथाल, परगना औऱ दक्षिण बिहार को अलग करके झारखंड बनाया जाए, यह मांग केवल वहां के क्षेत्र के लोग नहीं कर रहे बल्कि बिहार की विधान सभा ने भी पारित करके भेजा है । उस सदन में जब चर्चा हुई थी तो कहा गया था कि आप पिक ऐंड चूज क्यों करते हैं, आखिर तो विदर्भ की भी मांग है...

श्री दावा लामा (पश्चिमी बंगाल): गोरखालैंड की भी मांग है ।...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गोरखलैंड की भी है, बोडोलैंड की भी है, तेलगाना की भी है - कई मांगे हैं । मैं अभी अभी देख रहा था कि हमारे उस सदन से जब तीन राज्यों के प्रस्ताव पारित हो गये तो कोई एक संस्था है, जिस संस्था ने कहा कि दस नये राज्य बनने चाहिए। उसका भी जिक्र है।...(**व्यवधान**)...जहां तक मांगों की बात है, मैं उससे परिचित हूं । देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग राज्यों की मांग है लेकिन जो कसौटी इस सरकार ने किसी राज्य को अलग बनाने के लिए संसद के समाने रखी है, वह कसौटी यह है कि जहां पर मांग होगी और जिस प्रदेश का आज वह क्षेत्र हिस्सा है, उस प्रदेश की विधान सभी भी कहेगी कि हां, इस प्रकार का राज्य बनना चाहिए, आज पश्चिमी बंगाल की विधान सभा अगर प्रस्ताव पारित करके कहे कि यह राज्य बनना चाहिए – गोरखालैंड - जिसका आप कह रहे हैं : ...(**व्यवधान**)...

श्री दावा लामा : मंत्री जी, यह...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : गृह मंत्री जी को बोलने दीजिए । बीच में इंटरप्ट मत करिए । यह अच्छा नहीं लगता ।

श्री लाल कृष्ण आडवणी : आज जब मैं मध्य प्रदेश पुनगर्ठन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित आपके पास लाया हूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, बस्तर में - उन 16 जिलों में जिसकी कुल जनसंख्या लगभग पौने दो करोड़ है, उस पौने दो करोड़ की जनसंख्या में तब बहुत आनन्द होगा, बहुत खुशी होगी जब हम इसको पारित करेंगे क्योंकि वहां से पारित हुआ है। लेकिन यहां से भी पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा अधिनियम बनने के लिए और अधिनियम बनने के बाद ही उसके ऊपर कार्यवाही होगी और इस राज्य का अलग निर्माण होगा। सभी संबंधित मंत्रालयों से सलाह-मशविरा किया गया है, कानून मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। पुरानी जितनी परम्पराएं हैं राज्य पुनर्गठन की, स्टेट्स री-ऑर्गेनाइजेशन जब-जब हुआ है, वहां पर क्या पद्वतियां अपनाई गई हैं, क्या-क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई है, सर्विसेज़ के बारे में, वेरियस कमीशन्स के बारे में, फिर विधान सभा अगर अलग बनती है तो उसके पुनर्सीमन के बारे में, इन सब बातों के बारे में विचार-विमर्श करके यह विधेयक सबके सामने प्रस्तुत किय गया है । मैं आशा करता हूं औऱ आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि

जिस प्रकार की एक आम सहमति से उस सदन में यह पास हुआ, उसी प्रकार से इस सदन में भी हम इस प्रस्ताव को पारित करके छत्तीसगढ़ के पौने दो करोड़ लोगों की जो आशा है, उस आशा को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

The *question was proposed.*

उपसभापति : एक मिनट... हाउस में किसी का मोबाईल फोन बज रहा है, यह बहुत गलत बात है कि। किसी को हाऊस में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं है और अगर वे लाते हैं जेब में तो उसको बंद करके रखिए.Otherwise, I will get it confiscated. डिस्टर्बेन्स होती है जब मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी के पास भी हो । I do not want to identify. Perhaps, I know whose mobile it is but I do not want to embarrass that Member.

SHRI L.K. ADVANI: Perhaps, he does not know.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whenever anybody's mobile is ringing, I find all those who carry it, look at their pockets. So, they let out their secrets. तो कृपा करके बंद करके रखिए या बाहर जाकर बात कर लीजिए।... श्री अर्जुन सिंह, बोलिए।...(**व्यवधान**)...

श्री दावा लामा : मैडम...

उपसभापतिः आपका नाम अर्जुन सिंह नहीं है । I have to call Mr. Arjun Singh. ... *(Interruptions)...*

श्री दावा लामाः मैडम, मुझे पांच मिनट बोलने का टाईम दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not now...(Interruptions)...When your time comes, I will allow you..*(Interruptions)...*

श्री दावा लामाः कृपा करके थोड़ा टाईम दे दीजिए ।

उपसभापतिः जब आपका नाम आएगा...(**व्यवधान**)...I agree with you... *(Interruptions)...* When your name comes, I will allow you but not now...*(Interruptions)..* I am not allowing you now. Please take your seat. I have called Mr. Arjun Singh..*(Interruptions)...*Okay. Please sit down. Take your seat..*(Interruptions)...*

श्री दावा लामाः मैडम, मैं पांच मिनट बोलूंगा। उसके बाद ये बोल लेंगे ।

उपसभापतिः पांच मिनट नहीं ... आप अभी नहीं बोलेंगे, बाद में आपको बुलाएंगे। पहले हमने उन्हें बुलाया है। आप बैठ तो जाइए... I said, I am not allowing you...*(Interruptions)..* आप बैठ जाइए...It is not a correct system. I am not allowing you. Please, do not behave like this in this House. ...*(Interruptions)...*

श्री दावा लामाः मैडम, थोड़ी दया करके आप मुझे टाईम दे दीजिए।

उपसभापतिः मेरे पास दया नहीं है इस वक्त।I have identified the person..*(Interruptions)...* You please sit down. If you do not know the rules, read the Rules book...*(Interruptions)...* Sit down..*(Interruptions)...* बोलिए अर्जुन सिंह जी....(**व्यवधान**)... नहीं...I said, 'No'...*(Interruptions)* ...आप कौन सी भाषा समझते हैं? हिंदी समझते हैं या अंग्रेजी समझते हैं? ये दो भाषाएं मुझे आती हैं।.....(**व्यवधान**)......

श्री दावा लामाः मैडम, मैं पांच मिनट बोलूंगा।

उपसभापतिः नहीं 'No' is the word in every language...*i/nterruptions).* ...आप बोलिए अर्जुन सिंह जी .....(**व्यवधान**)...... आप बैठिए ...प्लीज बैठ जाइए।

श्री दावा लामाः नहीं...नहीं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I said, *'No'...(Interruptions)..* आप बैठ जाइए। I do not know what language did he understands *...(Interruptions)...* What language does Mr. Lama understand? I will permit you when your name comes but not in between..*(Interruptions)...*There is a *prakriya.* एक तरीका होता है, एक रूल होता है, उसके अंतर्गत हाऊस चलता है। जब आपका समय आएगा तो मैं आपको एलाऊ करुंगी । Not now. Let Mr. Arjun Singh speak. Okay.

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विधेयक को कांग्रेस को पार्टी का पूरा-पूरा समर्थन है और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उन्होंने बताई, मैं इस सदन में रेखांकित करना चाहता हूं कि इस पृष्ठभूमि के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य स्टेट्स के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, केवल उस विधेयक पर बोलूंगा जो आपने प्रस्तुत किया है।

महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए पिछले दस वर्षों से सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा, वह हमारे मेनिफेस्टो में रहा। विधान सभा से भी एक मत से प्रस्ताव पास करके इसकी पुष्टि करने की दिशा में भी पार्टी ने सक्रिय रोल अदा किया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राज्य का गठन किसी विवाद में नहीं है और विवाद से परे, हमें इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण लाने की जरूरत है। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के अंग के रूप में, जो कुछ विकास संभव हुआ, उस विकास की दिशा में बढ़ने की कोशिश की गई औऱ मैं जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि दोनों पिछड़े हुए अंग होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राजनैतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर औऱ प्रशासनिक स्तर पर। हम सबको इस बात का संतोष है कि इस विकास की रफ्तार अब और तीव्र होगी जैसा कि हरदम इन परिस्थितियों में होता है। इसका एक पहलू जरूर है जो भले ही आज बहुत प्रासंगिक न दिखे लेकिन इसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, हम सबको और न शासन को । क्योंकि उसका उस राज्य के बनने के भविष्य से संबंध है। हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ इस देश का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य बने, इसलिए कुछ बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस राज्य की आबादी का डेमोग्राफिक चार्ट देखने योग्य है। इस राज्य की आबादी आदिवासी, हरिजन औऱ पिछड़े वर्ग को मिलाकर लगभग 85

प्रतिशत है। मुझे यह कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को हरदम यह सोचने का अवसर मिलता रहा कि शायद जिस हद तक उनके प्रश्नो पर, उनकी समस्याओं पर, उनके भविष्य को लेकर जो चिंता होनी चाहिए वह नहीं हुई, यह सही है या गलत है यह मैं नही कहता। इस पृष्ठभुमि में जिन लोगों को इस राज्य के भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए , उन्हें यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज की परिस्थितियों में जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने जा रहा है उसका लगभग 50 प्रतिशत भाग तीव्र नक्सली आंदोलन से प्रभावित है । नक्सली आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या होती है, उसका अधार क्या होता है, मुझे उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। यह इस राज्य को मजबूत करने के लिए आवशयक है। यह बात सही है कि यह राज्य खनिज पदार्थों तथा अन्य चीजों से भी सम्पन्न होगा, बल्कि अन्य राज्यों को इससे सहायता मिलेगी, देश को सहायता मिलेगी । लेकिन आज जो असंतोष का वातावरण है, उस वातावरण को काबू करने के लिए हथियारों के अलावा भी कुछ अन्य चीजें करने की जरूरत होगी । इस बात को गृह मंत्री भी अवशय ध्यान रखें। यहीं पर मैं यह कहना भी समीचीन मानता हूं कि एकाएक जो इस प्रदेश के विकास की संभावनाएं होंगी, वे फलीभूत नहीं लगेंगी, उसमे कुछ समय लगेगा। एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जो राज्य के साथ बनेगा उसके लिए केंद्र की भरपूर सहायता होनी चाहिए उसकी राजधानी के लिए तथा अन्य चीजों के लिए ताकि एक बड़ा भार इस प्रदेश के ऊपर न पड़े। साथ ही साथ यह भी देखने की जरूरत होगी कि केंद्रीय शासन के अंतर्गत जो संसाधन है, भिलाई है, बेलाडीला है, कोरबा है, इनके विकास के लिए आज भी बहुत सी चीजों की कमी है। शायद अपने आप यह प्रदेश उस कमी को दूर नहीं कर सकेगा इसलिए यदि विकास की गति को तेज करना है तो इन क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार को दुगुनी पहल करनी पड़ेगी और तीव्र पहल करनी पड़ेगी । इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः हम सबकी आकांक्षा है कि हिन्दुस्तान के अन्य भागों की तरह छत्तीसगढ़ भी एक समृद्विशाली राज्य के रूप में भारत मे शामिल रहे। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो कदम उठाए जाने हैं, उनका ख्याल रखेंगे।

जहां तक छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों का सवाल है हम सब और कांग्रेस पार्टी, उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए जो एक कदम उठाया जा रहा है उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहते हैं, उनकी एकता को बधाई देना चाहते हैं, और भविष्य में वे फले-फूलें हम इसकी भी कामना करते हैं।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, मैं मध्य प्रदेश पुनगर्ठन बिल, 2000 का समर्थन करता हूं तथा एक नये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का जो यह विधेयक आया है उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी, उनके माध्यम से माननीय अटल जी प्रधानमंत्री, तथा एन.डी.ए. की सरकार को अपनी ओर से तथा मध्य प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता को भी हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि बरसों से वहां की क्षेत्र की जनता की यह आकांक्षा थी । इतवार के दिन मैं रायपुर में ही था। लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद वहां एक अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण , जैसे कोई उत्सव हो, पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में फैला हुआ था। लम्बे समय से उन्हें यह सपना जरूर दिखाया जाता रहा लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम, कोई ठोस उपाय नहीं हो पा रहा था। अभी माननीय अर्जुन सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस बराबर यह बात कहती रही, मैं भी मानता हूं, मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसा उन्होने कहा कि मेनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख होता रहा तो कांग्रेस मेनिफस्टो से आगे बढ़ भी नहीं पाई।

अभी जरूर एक-दो साल से वहां के स्थानीय नेता इस बारे में सक्रिय हुए, हालांकि बीच-बीच में 30-40 सालों तक मेनिफेस्टो में उल्लेख होता था एकाध बार लेकिन दूसरी बार छूट जाता था। किसी चुनाव रैली का आयोजन हो जाता तो छत्तीसगढ़ की बात जरूर होती थी लेकिन छत्तीसगढ़ मूर्त रूप नहीं ले पाता था। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा मे प्रतिपक्ष नेता था तब 1994 में मेरे दल के श्री गोपाल परमार विधायक द्वारा अशासकीय प्रस्ताव लाया गया था और मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सर्वानुमति से उस प्रस्ताव को पारित किया था लेकिन उस समय केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी । 1994-98 तक इन चार सालों में सब जानते हैं कि कितनी सरकारें आई औऱ गई। लेकिन उस समय मैनिफेस्टो के बाहर आकर इसके मूर्त रूप देने का प्रयास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की विधान सभा ने सर्वनुमति से इसको पारित किया, सारे राजनैतिक दलों ने भी समर्थन दिया लेकिन उस समय यह पारित नहीं किया गया औऱ मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री जी ने पार्लियमेंट के अंदर यह बात कही थी कि हमारी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है। कोई नया राज्य अब हिन्दुस्तान में नहीं बनेगा। यह रिकार्ड में है। रायपुर की रैली में भी जा कर उन्होंने कहा कि कोई नया राज्य नहीं बनेगा। यानी एक स्ट्रोक से पुराने सारे मैनिफेस्टोज के प्रस्तावों और उनकी घोषणाओं को, पार्टी के सारे प्रस्तावों को उस दल के प्रधानमंत्री जी द्वारा निरस्त कर दिया गया था । इसलिए यह 1994 से 1998 तक एक प्रकार से पेडिंग पड़ा रहा । लेकिन जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 1996 के केंद्र के मैनिफेस्टो में औऱ उसके पहले 1993 में मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो इस प्रस्ताव को सम्मिलित किया लेकिन 1996 में केंद्र ने अपने मैनिफेस्टो में इसको स्वीकार किया और तीन राज्यों के निर्माण के बारे में बात की । 1998 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहली बार बनी उस समय केबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा और राष्ट्रपति जी ने मध्य प्रदेश की विधान सभा में इसको प्रेषित किया। मध्य प्रदेश की विधान सभा ने सर्वानुमति से इसको पारित करके वापस केंद्र को भेज दिया। लेकिन केंद्र में आने के बाद यह अधिनियम का रूप लेता इसके पहले ही सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गई और एक प्रकार से यह लैप्स हो गया। इससे छत्तीसगढ़ की जनता में एक उत्साह का जो वातावरण आया था औऱ उनके मन में जो एक आशा का संचार हुआ था, लोकसभा भंग होने के बाद उनको लगा कि कहीं हमारा यह सपना सपना ही न रह जाए। लेकिन सौभाग्य से फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और जो हमारा उस समय का विधान सभा का प्रस्ताव था उस पर पुनर्विचार हुआ औऱ फिर से कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया तथा यह फिर से मध्य प्रदेश विधान सभा में गया औऱ वहां से पारित होने के बाद यह लोकसभा में पारित हुआ और आज यह राज्य सभा में, इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। यह इसकी 1994 से लेकर 1998 तक का इतिहास है। 1998 में लैप्स हो जाने के बाद फिर 1999 को हमारे दल द्वारा एक कमिटमेंट छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया गया। मुझे याद है कि माननीय आडवाणी जी जब रथ यात्रा में रायपुर गए तो मैं उनके साथ प्रेस क्लब में था। उन्होंने वहां एक रिटिन नोट सर्कुलेट किया था कि यह हमारा कमिटमेंट है औऱ जब कभी भी हमें केंद्र में आने का अवसर मिलेगा हम निश्चितरुप से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री के नाते रायपुर गए तो मैं भी उस रैली में था, उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर खड़े होकर यह विश्वास दिलाया था और यह कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चिरुप से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे। जनादेश भी इसके पक्ष मे आया और उस जनादेश के कारण आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने जा रहा है। महोदय, इसके लिए मैं

जहां निश्चितरुप से एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वही छत्तीसगढ़ की जनता भी बधाई की पात्र है। महोदया, अगर आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देखें तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में एक राज्य है । अगर हम नक्शे में उसकी सीमायें देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं इधर उधर से कुछ स्थान तोड़कर इसमें मिलाए गए हों। कहीं से भी एक गांव, एक शहर या एक कस्बा इसमें मिलाने की आवशयकता नहीं पड़ी । प्रकृति ने मानों अपने हाथ से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया हो । यह एक ऐसी प्राकृतिक सीमा है जिस पर कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। यह शायद पहला राज्य है जिसमें एक गांव का भी विवाद नहीं है, सर्वे नंबर तक का कोई विवाद नहीं है। यह अपने आप में पूरा राज्य है औऱ वहां की जनता भी इससे संतुष्ट है।.....(**व्यवधान**)...... कोई किसी प्रकार का विवाद नही है, किसी प्रकार की कोई बात नही है। विधान सभा में भी यह सर्वानुमति से पारित हुआ है। उपसभापति महोदया, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि 30-35 वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन जिसको कहते हैं गांधीवादी सत्याग्रह, यह छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। आंदोलन में कोई हिंसा नहीं, कोई रक्तपात नहीं, कोई आगजनी नहीं, वह हर बार हमेशा शांतिपूर्ण रहा चाहे किसी दल द्वारा छले भी गए हों । लेकिन बावजूद इसके उन्होंने तोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था और विश्वास दिखाया कि कभी न कभी दिल्ली की सरकार में ऐसा व्यक्ति आकर बैठेगा जो हमारी भावनाओं को समझेगा औऱ अवसर आने पर हमारी भावनाओं के अनुरुप एक नये राज्य का निर्माण करके उसे हमें देगा। इसलिए इतने वर्षों तक बड़े धैर्य के साथ और शांति के साथ इन्होंने एक प्रकार से सतत साधाना की। इसके लिए मैं वहां की जनता को बधाई देना चाहता हूं। यह उसकी जीत है, यह उनके अपार धैर्य की जीत है, यह उनके संयम की जीत है, यह उनके निर्माण के प्रति आग्रह औऱ समर्पण का मूर्तरुप आज छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में सामने आया है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

उपसभापति महोदया, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्वता से हम परिचित हैं। छत्तीसगढ़ की धरती के भुगर्भ में अपार रत्न हैं । एक समृद्व राज्य धरती के अन्दर है । एक समृद्व प्रदेश, पूरी की पूरी समृद्वि उसके अंदर छिपी हुई है। इतने वर्षों में इसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है। यह सब को मालूम है, सांस्कृतिक समृद्वि उसके पास है, प्रचुर वन हैं, धरती के गर्भ में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीरा क्षेत्र देवभोग की हीरा खदानें हैं, श्रेष्ठ किम्बर पाइपलाइन है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो हमारी विधान सभा के अंदर सारा रिकार्ड आया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीरा देवभोग की धरती में छिपा हुआ है । वहां पर बस्तर में यूरेनियम है। लोहा अयस्क बेलाडीला में है। बेलाडीला का आइरन और विशाखापत्तनम होते हुए जापान जाता है औऱ वहां से इस्पात और लोहा बन कर आ जाता है। हम बस्तर में देखते हैं बेल के आकार का पहाड़ है इसलिए उसका नाम बेलाडीला है, उसका डीलडौल इस प्रकार है । वहां पर लोहा अयस्क के पहाड़, कोयला, तांबा, टीन, बाक्साइट, सारी इस प्रकार की बहुमूल्य खनिज संपदा जो धरती मे हो सकती है, वह सब विद्यमान हैं। जल संसाधनों से परिपूर्ण है। महानदी, इंद्रावती, इब, शिवनाथ, हंसदेव अनेक नदियों से परिपूर्ण एक प्रकार से समृद्व भविष्य की एक समृद्व राज्य की, परिकल्पना उसके अन्दर छिपी हुई है, क्षमता उसके अन्दर छिपी हुई है। कलचुरी साम्राज्य की विरासत के रूप में रतनगढ़ वहां राजधानी थी । पुराना इतिहास हम देखें तो रतनगढ़ एक बहुत समृद्वशाली राज्य औऱ राजधानी था कलचुरी साम्राज्य का। आज भी वहां आसपास की पहाड़ियों में उसकी विरासत बिखरी हुई है। वहां महामाया सिद्वपीठ है रतनपुर का और यह माना जाता था कि छत्तीसगढ़ अंचल में ९ रूप में दुर्गा निवास करती है। दक्षिण मे मां दंतेश्वरी का मंदिर

है, पश्चिम मे मां बम्लेश्वरी, ठीक पूर्व में चन्द्रहासिनी है और अर्ध अंग में अष्टभुजी माता है। इस प्रकार यह कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में माता के 9 रुपों का दर्शन उस अंचल में हैं। दण्डकारण्य वन बस्तर मे है औऱ बस्तर इतना बड़ा प्रान्त है कि पूरा केरल राज्य भी उस बस्तर के अन्दर रख दिया जाए तो भी बस्तर का क्षेत्र उस पूरे केरल राज्य से भी बडा़ है। इतना अपने आप में वनों से आच्छादित औऱ सारी समृद्वता के साथ में संपूर्ण बस्तर इस छत्तीसगढ़ के अंचल के रुप मे विद्यमान है। महोदया, इस सब के साथ में एक और विशेषता छत्तीसगढ़ की बताना चाहता हूं। जैसे कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा, जब 1956 में राज्य पुनगर्ठन आयोग की रिपोर्ट आई थी । राज्यों का पुनगर्ठन जिस आधार पर किया गया था वह भाषायी आधार था और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ लेकिन उस समय इस राज्य को उपेक्षित छोड़ दिया गया। उसी समय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बन सकता था लेकिन राज्य पुनगर्ठन आयोग की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश का निर्माण किस विसंगति में हुआ था इसका उस रिपोर्ट में उल्लेख है । बाकी के सब राज्यों को बनाने के बाद जो बाकी के राज्यों मे कुछ ऐसा हिस्सा बच गया था जो भाषा की दृष्टि से उस में नहीं मिल सकता था उन सब को मिला कर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक करोड़ अस्सी लाख जनता में से लगभग एक करोड़ चालीस लाख नागरिक छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं । पूरे राज्य में यदि हम चले रायगढ़, जसपुर से हम प्रारम्भ करें और हम राजनंदगांव तक आएं तो इतने सारे क्षेत्र में आपको छत्तीसगढ़ी बोली, एक जैसी बोली सर्वत्र सुनाई देगी अर्थात भाषायी दृष्टि से भी जो एकजुटता औऱ एकरुपता होनी चाहिए वह छत्तीसगढ़ राज्य में निहित है। इसलिए जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इस राज्य का निर्माण किया हो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सारे खनिजों की समृद्वता की दृष्टि से नदी, जल, पहाड़, वन सब दृष्टियों से उसके साथ में भाषा की दृष्टि से भी एकरूपता है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो बहुत आवशयक था, आज वह आशाएं पूर्ण होने जा रही हैं । मैं माननीय गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं औऱ उसके साथ जो एक विसंगित इस बिल में थी जिसकी तरफ मैंने गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था वह थी राज्यसभा के सदस्यों के आबंटन का मामला जो लॉट के माध्यम से दिये जाने वाले थे चूंकि यह एक अमेंडमेंट आया है, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से सर्कुलेट हुआ है इसमें इसका समावेश हो जाएगा तो विसंगति दूर हो जाएगी । कुल मिला कर 16 राज्य सभा के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश से आते हैं । इस विभाजन में 11 मध्य प्रदेश मे रहेंगे और 5 छत्तीसगढ़ मे रहेंगे । जो पहली अनुसूची आयी है उसमें दर्शाया गया है कि उसमें कंडिका 2 औऱ 3 खंड में लाट के माध्यम से तय किया जाएगा । यह लाट के माध्यम से तय न करते हुए यदि 2-2 और 1 के रेशियों में किया जाए तो जो 5 वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं वे 5 छत्तीसगढ़ मे रह जाएंगे । शेष 11 जो शेष मध्य प्रदेश के नेतृत्व करते हैं वे शेष मध्य प्रदेश में रह जाएंगे। इसको इसके माध्यम से ठीक कर लिया जाए तो निश्चित रुप से यह एक जो विसंगित थी वह विसंगति भी इसमें दूर जो जाएगी।

पिछली बार जब यह बिल आया था तब इसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं था लेकिन मैं केन्द्र की सरकार को बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को देखकर उन्होंने अपने इस बिल में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पृथक से उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की है। बाकी औऱ सारी व्यवस्थाएं की है। हमारी कामना है, शुभकाना है कि एक समृद्वशाली छत्तीसगढ़ का निर्माण हो। छत्तीसगढ़ की जनता की आशा और आकांक्षाएं पूरी हों औऱ उसमें केन्द्र सरकार उनके भविष्य को बनाने के लिए वहां इस सारे औद्योगिक विकास औऱ उसकी समृद्वी के

लिए जो यथायोग्य और भी इसमें हो सकती है वह निश्चित रुप से दे। शेष मध्य प्रदेश की तरफ से हम जो बाकी के सब जनप्रतिनिधि हैं, यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 40-42-45 साल तक हमारे साथ रहकर छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश के विकास में जो सहयोग किया है, भविष्य में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में अपनी भागीदरी निभाता रहेगा।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं केन्द्र की सरकार औऱ माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KHAGEN DAS (Tripura): At the outset I want to tell the House that I and my party, CPM, do not support the Bill. My views and the views of my party on this Bill are that the problems of the people or the problems of the region cannot be solved by creating a new State or States.

Madam, since 1950s, our party had been demanding for the formation of States on the basis of commonality of language. Though the Government at the Centre initially resisted the demand, the intense pressure of mass movements and agitations compelled it to agree to the formation of linguistic States. So, my first point is that we are for the formation of linguistic States. Secondly, although the State structure is federal in nature, most of the powers and resources are concentrated in the hands of the Central Government. The constituent States enjoy little power. It makes them dependent on the Central Government restricting their development and nation-building activities and thus hindering their progress. It is natural that in such a situation the contradiction between the Central Government and the States have grown. This contradiction gets constantly aggravated due to the accentuation of uneven economic development under capitalism.

Thirdly, the Adivasi and tribal people, who constitute about seven crores of the population are the victims of brutal capitalist and semi-feudal exploitation. Their lands are alienated from them, their right to forests is denied and they are a source of cheap and bonded labour for contractors and landlords. In some States there are compact areas inhabited by Tribals who have their own district languages and cultures. Regional autonomy for protecting their rights is a just and democratic demand. So, we stand for regional autonomy. Madam, this is not the first occasion that we are going to create new States. I hail from the North-Eastern part of India. I have seen how the State of Assam was fragmented. The State of Assam was divided; and smaller States were carved out of it like Manipur, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, etc. Can the Government state with this fragmentation, the problems of the people have been solved, or, even partially minimised? Why have these States remained economically

backward even after 52 years of the Independence? Why was no infrastructure developed there so far? Why has no single industry come up there? Why is the communication so bad there? Can the Government cite a single instance that after the creation of new States, the people at last have been benefited rather it can be said that the problems of the people have increased manifold? It is reported that more than 62-70 per cent population of the North-East still live below the poverty line. This is our experience. So, Madam, we do not believe that an area can be developed just by resorting to reorganisation of States. To develop an area, it does have to reorganise a State, create a new State and divide a State. That doesn't serve the real purpose. The crux of the problem lies elsewhere. May I put a straightforward question to the Government? Can the Government tell this House, tell the people of India why the people of the region, which is going to be a new State, that is, Chhatisgarh are most backward even after 52 years of Independence? Now, this region is within the State of Madhya Pradesh. Was there no elected Government there? Yes, there were elected Governments. And there is still an elected Government. Can you tell us what special programmes had been taken up by these Governments to change the lot of the people of that area? May I know from the Minister while proposing to divide the State or create a new State, what special programme, both long term and short term, the Government has in mind to change the total economic scenario of the people of the State? Members sitting on my left side were in the Government. Members sitting on my right were also in the Government ; and still they are at the helm of the affairs of the Government. If a new State is formed, the same people having the same political outlook and class interest are going to form the Government. What can the people of that area expect from them? The ugly faces of the exploiters are already known to them. So, the creation of a new State is not the panacea for improving the lot of these exploited people. If they really want to do something to improve the lot of the people, the total policy of the Government has to be changed. The Central Government and the State Government must come forward with concrete plans and programmes and with adequate economic support to develop the areas that are yet to develop, especially those areas in which people belonging to the weaker sections, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes reside.

Why has the Government come forward with this Bill? Some eminent persons of that area shrug when prodded on the issue. I quote them: "We already live in Chattisgarh. We do not understand what a new

State means." According to them, "The region is predominantly inhabited by illiterate farmers and agricultural labourers, mostly tribals and Dalits, who are not concerned with the statehood issue."

Madam, our party will get 16 minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. You have already spoken for 15 minutes.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): We are the only Opposition.

SHRI KHAGEN DAS: Yes, Madam. He is right. We are the only Opposition.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That does not mean that all the time of those who support it, should be given to you. You are a limited Opposition. You will get limited time.

SHRI KHAGEN DAS: Please give me a little more time, Madam.

Some observers say that the issue is 'irrelevant' for most as it is 'purely the creation of a handful of politicians'. It is not out of place to mention here that during the last Assembly election in November, the BJP's election strategy was based on its slogan 'one vote, two States', mounting a high-pitch campaign promising statehood. The proposal for creation of the State, according to me, is just to appease some political personalities or political parties, to meet their lust for power, and not for the upliftment of the poor.

Madam, an hon. Member from the left side just now mentioned about the resources which are there. I also like to mention that. Does the Government believe that the lot of the tribals, the Scheduled Castes and the weaker and backward castes, who constitute 95 per cent of the population in Chattisgarh, who are the poorest of the poor, will be improved by creation of a new State? Chattisgarh, no doubt, can emerge as the richest State in India. I repeat, Madam. Chattisgarh, no doubt, can emerge as the richest State in India, if its mineral and other resources are exploited well. Chattisgarh is abundant in natural resources. The discovery of diamonds of Deobogh will provide additional source of wealth. It is reported that Deobogh is one of the richest diamond areas in the world. The region has bauxite reserves, corundum and dolomite. The region has abundant deposits of iron ore and tin. The gold reserve there is estimated as three million kilograms. Coal is found in abundance too. But it is a matter of deep

3.00 P.M.

regret that the people of Chattisgarh are languishing in poverty amidst plenty. Can the Government tell us who are responsible for it? I can say that. Yes. I charge the people who are sitting to my left and right sides with making them pauperised. I put them in the dock. I firmly believe that one day, the exploited people will take revenge. I have heard-it is most disturbing, Madam--that in districts like Bastar, some sections of the tribal people still remain naked. I ask the Government to contradict it. The programmes and activities of the Government such as communication, drinking water, electrification, education, food, health, etc., are foreign to them. After 52 years of Independence, the light of civilisation finds no way to reach there. I would like to know whether the Government can throw any light on this point as to how these hapless people can be brought nearer to the so-called civilised society. Can the Government inform the House whether the proposed new State will be able to change the fate of these' hapless people? I am sure, the Government is aware of the fact that already there are demands being raised for creation of more States. Can the Government inform the House as to what will be the end of it? It will open the Pandora's Box and many more demands from all over the country will be coming. "Yes", in the new State Chattisgarh, some people are raising the demand that the areas like Balaghat and Sadol should be included in the proposed State. I know, Madam, in some parts of the States in India, in the name of a new State, they are raising the slogan for an independent State, thus, posing a serious threat to the unity and integrity of the country. This is a very dangerous trend. We are suffering from a serious economic constraint. Of course, this is the result of the capitalist path pursued by the ruling classes. In such a precarious economic situation, if reorganisations take place, there will be more Governors, more Chief Ministers, more officers and more staff. This was what was stated earlier by Shri Jibon Roy. More money from the exchequer will go for it. But nothing will remain for the development of the area and for improving the lot of these hapless people. So, the view of my party is that the reorganisation of the State would not solve the problem of backwardness of the people. We are for the Regional Autonomous Council, and under the 6th Schedule, we can have some areas. Under the 6th Schedule of the Constitution, we have already some tribal areas that are autonomous. We are having it in Tripura, in the name of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. We are having it in Assam and some other States. Similarly, we can give regional autonomy to the tribal areas of Madhya

Pradesh which will remain within the State. What is needed is that the Government has to extend more facilities, go in for massive programmes with adequate funds for the well-being of the neglected and exploited people of the region. So, I hope the Government will move in this direction. Thank you.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर आज जब यह सदन चर्चा कर रहा है तो निस्संदेह एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठन पर जहां हम सबको हर्ष का अनुभव हो रहा है, वहीं अपनों से बिछड़ने का दुःख भी हो रहा है लेकिन हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गठन से विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। जब छत्तीसगढ़ की पृष्ठभुमि और इतिहास पर हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो अवधारणा है, वह इतिहास से जुड़ी हुई है । वैदिक काल से ही छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय मिलता है, पहले यह दण्डकारण्य और गोंडवाना के नाम से विख्यात रहा औऱ 36 किलो का अंचल या दक्षिण कौशल के रूप में भी इसे जाना जाता रहा है । महोदया, 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो सी.पी. एण्ड बरार से सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य, महाकौशल, मध्य भारत औऱ भोपाल राज्यों का विलीनीकरण किया गया, तब जाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था । समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए आंदोलन किए गए। सबसे पहले 1924 में त्रिपुरी काग्रेंस में यह मागं उठी कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाए। 1952 डा. खूबचन्द बघेल और ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने इस दिशा में प्रयास किए। सन् 1955 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने विधान सभा में यह मुद्दा उठाया। बाद में इस आंदोलन की बागडोर पूर्व संसद सदस्य स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने अपने हाथ में ली । कई प्रकार की कमेटी छत्तीसगढ़ आंदोलन से संबंधित बनी । छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना डा. खूबचन्द बघेल के नेतृत्व में हुई, कहीं छत्तीसगढ़ संघर्ष मोरचा की स्थापना चन्दूलाल चन्द्राकर जी के नेतृत्व में हुई। लेकिन जो आंदोलन हुए वे माहत्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पर शांति के साथ हुए और सतत प्रयास चलते रहे । बाद में 1980 में आंदोलन की बागडोर पवन दीवान जी ने अपने हाथ में ली और 1993 में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की कांग्रेस पार्टी पक्षधर है औऱ उस घोषणा पत्र के परिपालन में 18 मार्च, 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव विधान सभा ने छत्तीसगढ़ राज्य हेतु पारित किया। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को बहुत गौर से सुन रहा था। यह समय इस बात का नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने जा रहा है तो हम इसका श्रेय लूटने का प्रयास करें, बल्कि यह समय इस बात पर चिंतन करने का है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अपने शिशुकल से आगे बढ़ रहा है तो इसका विकास कैसे हो और इस बारे में हम समुचित पहल करें, समुचित प्रयास करें। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जहां से शुरूआत हुई है उसके लिए जहां मध्य प्रदेश सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहीं मैं केन्द्र सरकार को भी श्रेय देने में कोई कमी नहीं करूंगा कि इस केन्द्र सरकार की पहल पर आज यह मूर्त रुप धारण कर रहा है। लेकिन जब बात जनादेश की आती है तो मुझे याद है, पिछले समय जब विधान सभा चुनाव हुआ था तो “एक वोट से दो सरकार” का नारा एक राजनीतिक पार्टी ने दिया था । लेकिन महोदया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी जो पहले थी जो पहले थी । तो बात बड़ी साफ है कि जनादेश किधर है और किधर नहीं है लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसका गौरव उसकी पुरानी महत्ता को समझने

की बात है। इस छत्तीसगढ़ अंचल से कई मनीषियों की गौरवमयी स्मृतियां जुड़ी हुई है। इस छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह गौरव, प्रेरणा, अस्मिता और क्रांति का बड़ा बजोड़ और बेमिसाल इतिहास रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब रायपुर से आए थे तो उसके बाद ही वह स्वामी के रुप में प्रतिष्ठित हुए थे। जिस महान आसन पर महोदया आप विराजमान हैं यहां एक समय श्री हिदायतुल्ला जी सभापति के रुप में विराजमान रहे हैं। वह उसी छत्तीसगढ़ के रायपुर इलाके में पले-बड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से जो पहला हिन्दी अखबार 'छत्तीसगढ़-मित्र' निकला था वह स्वर्गीय माधवराव सपरे ने निकाला था । वल्लभाचार्य जी की जो जन्मस्थली थी वह रायपुर के पास चम्पारण में रही है। गुरु घासीदास का स्थान वहां रहा है । और तो और माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो माता रही - कौशल्या, उनका जन्म स्थान भी छत्तीसगढ़ के कौशल क्षेत्र में रहा है । इसलिए छत्तीसगढ़ अंचल में यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम से मामा-भांजे का रिश्ता छत्तीसगढ़ अंचल का रहा है। यहां तक कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो गंघमादन पर्वत से जो जड़ी लाई गई थी वह भी उसी छत्तीसगढ़ से लाई गई थी । बात जब आंदोलन की आती है, बात छत्तीसगढ़ के अंचल की संस्कृति और उसके गौरवमयी इतिहास की आती है तो सवाल इस बात का है कि जिस छत्तीसगढ़ ने बहुत महान पुरुष दिए, बहुत महान राजनेता दिए, बहुत महान कवि और साहित्यकार दिए, छत्तीसगढ़ की जब हम परिकल्पना कर रहे हैं तो कौन-कौन सी कमियां रह गई है जिन कमियों को पूरा करने की आज आवश्यकता है । आज जब यह बिल मूर्त रुप धारण कर रहा है और जब हम यहां से पास करके जाएंगे तो यह हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इस सदन में उन सभी लोगों को नमन करे चाहे वे साहित्यकार रहे हों, चाहें वे कवि हों, चाहे आंदोलनकारी मंगल रहे हो, चाहे वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों जिन्होंने समय-समय पर छत्तीसगढ़ के आंदोलन में एक बहुत ही सराहनीय भूमिका अपनाई है - चाहे स्वर्गीय हेमनाथ जी रहे हों, चाहे हरी ठाकुर जी रहे हो, चाहे कृष्ण रंजन जी रहे हो । चाहे मुकुल कौशल जी रहे हो, चाहे चंदूलाल चंद्राकर जी रहे हों और बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बनवाने की बागडोर चाहे पवन दीवान जी ने हाथ में ली हो, चाहे अजीत जोगी जी और विद्याचरण शुक्ल जी ने हाथ में ली हो, हम निश्चित रुप से इन सबको इस सदन के माध्यम से धन्यवाद व बधाई देना चाहेंगे। महोदया, जब बधाई देने का और नमन करने का सिलसिला जारी है तो मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि सत्र से पूर्व हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिखा था और बयान भी जारी किया था कि जहां तक तीनों राज्यों के गठन की बात है चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे झारखंड हो, इन राज्यों का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब ठीक नहीं है। जब सदन में यह बात चल रही है तो मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और जब इन राज्यों के गठन पर यहां चर्चा हो रही है तो इसके लिए हम उनके भी ऋणी हैं। मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ ने कई मुख्य मंत्री दिए हैं, चाहे वह शयामाचरण शुक्ल रहे हों, चाहे रविशंकर शुक्ल रहे हों, चाहे मोतीलाल वोरा व राजा नरेश चन्द्र रहे हों । इनके अलावा मैं दो और मुख्य मंत्रियों का जिक्र करना चाहूंगा कि वे भले ही वहां के न रहे हों, लेकिन वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से चुनकर मुख्यमंत्री बने, उनमें एक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र कसडोल से चुने गये और दूसरे जो हमारे सदन के आदरणीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह जी जो यद्यपि पहले मुख्य मंत्री बन गए थे लेकिन खरसिया से जीतने के बाद वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ अंचल खनिज-सम्पदा की द्वष्टि से धनी है। छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क और बहुत मूल्यवान खनिज हैं । वहीं छत्तीसगढ़ में 46 प्रतिशित के

लगभग वनसम्पदा है और नवोदित प्रदेश उससे घिरा हुआ है। अभी हमें रि-आर्गनाइजेशन बिल में जो नक्शा दिया गया है उसमें इसके अन्तर्गत 16 जिले आयेंगे, लोक सभा के 11 क्षेत्र इसके अन्तर्गत आयेंगे और विधान सभा के 90 क्षेत्र इसके अन्दर आयेंगे। लेकिन प्रदेश की जो सबसे छोटी विधान सभा है मंदिरहसोद, वह भी छत्तीसगढ़ में जायेगी और प्रदेश की सबसे बड़ी विधान सभा भी छत्तीसगढ़ में जायेगी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल केरल से छह गुना औऱ हिमाचल से लगभग पांच गुना होगा। लगभग 176 लाख लोग छत्तीसगढ़ में रहेंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ की बोली की बात एक माननीय सदस्य ने उठाई है, "मैं उसको थोड़ा-सा संशोधित रुप में विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य विक्रम वर्मा ने छत्तीसगढ़ की भाषा की बात उठाई है। जहां तक भाषा का प्रश्न है उसमें छत्तीसगढ़ी बोली शब्द प्रयुक्त करना ज्यादा बेहतर है, जब भाषा की बात आती है तो भाषा तो राजभाषा हिन्दी ही छत्तीसगढ़ मे रहनी चाहिए, लेकिन बोली जरूर छत्तीसगढ़ी रहे, इसको मैं जरूर संशोधित करना चाहूंगा।

उपसभापति : आपको छत्तीसगढ़ी बोलनी आती है?

श्री सुरेश पचौरीः जी, थोड़ी-थोड़ी ।

उपसभापतिः कुछ तो बोल दीजिए ।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): जो छत्तीसगढ़ी बोलना नहीं जानते हैं वह चुप रहना चाहते हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम(उत्तर प्रदेश): मनहर जी वहां के हैं ।

श्री बालकवि बैरागीः मै वहां का नहीं हूं । मनहर जी वहां के हैं । वे पीछे बैठे हुए हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने भिलाई के कारखाने को कारखानों का तीर्थ कहा था जो कि छत्तीसगढ़ में आयेगा । महोदया, विश्व में 12 हजार पांच सौ प्रजातियां धान की हैं, उसमें से 10 हजार प्रजातियां तो केवल छत्तीसगढ़ में हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ अंचल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जब यह बात आती है कि छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो रहा है तो हमारे मन में जरूर बिछोह का भाव आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक समृद्व प्रदेश बनेगा, उसका समुचित रुप से विकास होगा, ऐसा हम मानकर चलते है। छत्तीसगढ़ के सामने समस्याएं और चुनौतियां हैं, वह चाहे नक्सलवाद की समस्या हो और चाहे वहां वित्तीय मदद देने की बात हो, हम छत्तीसगढ़ के लिए यह अपेक्षा करेंगे कि केन्द्रीय शासन की तरफ से उसे पर्याप्त वित्तीय मदद मिले। न्यायालय के संबंध में सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में खण्डपीठ करने करने का निर्णय लिया है, निश्चित रुप से मैं अवसर का लाभ उठाते हुए आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, उस राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट बैच के सिलसिले में भी विचार किया जाए और इस सिलसिले में सरकार गौर फरमाए। यद्यपि मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे पर तो छत्तीसगढ़ अलग दिखेगा लेकिन भावनात्मक दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ को अलग मानकर नहीं चलते हैं क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो हमारे संबंध हैं, वह भावनात्क संबंध हैं, भाई के संबंध हैं इसलिए हम हमेशा उसके विकास के प्रति शुभकमानाएं व्यक्त करते हैं कि मिलजुलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो किया जा सकता है, वह हम करने की कोशिश करेंगे । जैसा एक शायर जलील ने कहा है :

जाते हो, खुदा हाफिज़, हां इतनी गुज़रिश है ।
जब याद हमारी आए, मिलने की दुआ करना ।

हमें उम्मीद है कि हम आपस में मिलजुलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ के पास जो अपार सम्पदा है, उसका सही ढंग से उपोयग हो सके, इसके लिए हम मिलजुलकर कोशिश करेंगे। इस छत्तीसगढ़ बिल को जो यहां लाया जा रहा है उसको मूर्त रुप देने में हम लोग किस ढंग से मिल जुलकर प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि केन्द्र शासन से समुचित वित्तीय सहायता मिलें और साथ में जो बीच के ऐडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जाने हैं और दूसरे लेवल के फैसले मध्य प्रदेश सरकार से बात करके लिए जाने हैं, उसमें ज्यादा विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। एक बात और कहकर मैं अपनी बात सामप्त करना चाहूंगा, जो बिल के सैक्शन 67 और 68 में सरकारी सर्विसिज़ का उल्लेख किया गया है, मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी एंव कर्मचारी जो जहां जिस वर्ग के भी हैं, उन्हें यह छूट मिलनी चाहिए कि वह अपना प्रैफरेंस अगर छत्तीसगढ़ में रहने का दें तो छत्तीसगढ़ में उनको प्राथिमकता के आधार पर अवसर दिया जाए और अगर वे अधिकारी मध्य प्रदेश में रहने का अपना प्रैफरेंस दें तो उस केस में उनके मध्य प्रदेश में रहने के बारे में विचार किया जाए। महोदया, जब 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तब भी इसी प्रकार से विचार किया गया था । हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव ने सैक्शन 67,68 व 73 के बारे में केन्द्रीय गृह मत्रांलय को पत्र भी लिखे है। हमें विश्वास है कि माननीय गृहमंत्री जी जब अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग की किस ढंग से पोस्टिंग की जाएगी, इस संबंध में अपना मत व्यक्त करेंगे तो इस मामले में जरूर विचार करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ जो आज मध्य प्रदेश पुनर्गठन बिल 2000 को रखा गया है, निश्चित रुप से मैं इसका समर्थन करता हूं और छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं, छत्तीसगढ़ का आंदोलन जिन्होंने चलाया, उनके प्रति नमन करता हूं और वहां की जनता के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

उपसभापतिः मंत्री जी, इन्होंने एक बात चावल के बारे में कही कि जो अलग-अलग किसम के, 10 हजार वैरायटी के वाइल्ड राइस होते हैं, और हमारे यहां कोई ऐसा इंस्टीटयूशन नहीं बना है कि उनके जर्म में प्लाज़म को प्रीज़र्व किया जाए और बाहर के देश के लोग उस जर्म प्लाज़म को चोरी करके ले जाते हैं और फिर उसको नेशनलाइज़ करके या लोकलाइज़ करके उसका रेजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आज यह इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अनतर्गत बहुत जरूरी है कि चावल के जर्म प्लाज़म के बारे में सरकार कुछ कोशिश करे और इस संबंध में कोई तरीका निकाले। जब तक यह इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सवाल नहीं था तो यह चल रहा था पर अब हमारे सामने यह समस्या आने वाली है इसलिए इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा।

SHRI ARJUN SINGH: Madam, we are grateful to you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have been very much concerned on this issue for the last 15 years. I have been writing letters since Mrs. Indira Gandhi's time. It is very important. Once these varieties are dead, perhaps, someday, we may not have any rice varieties left in the country, रामचंद्रा रेड्डी जी, आप तेलुगु में बोलने वाले हैं। हम समझे, आप छत्तीसगढ़ में बोलेंगे। तेलुगु का थोड़ा ही राज़ बनता है ।

*SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, by carving out smaller States out of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar are have increased the number of States from twenty five to twenty eight. Hon'ble Minister Shri Advani said that there were proposals in Lok Sabha to constitute ten more States. So, we do not know where this trend will end. We hear that the people of these three States are celebrating the birth of the new states. They are happy that their long cherished dreams have become a reality. But the question is how long these celebrations are going to last. Only the time will tell how long and to what extent they would welcome this trend. India is also a very large country. I only wish that the citizens should not get a feeling that India should split into two or three countries. I sincerely request every citizen and also pray to God that such a wish should never arise in the minds of our people. When new states are formed there is an opportunity for the leaders to become representatives of the people. There will be a Chief Minister, a good number of Ministers, M.L.As Corporation Chairman so on and so forth. Employment opportunities may increase and for those who are already employed may get further promotions. People also develop a feeling that they would be able to keep pace with the developed and other developing countries and achieve a respectable place. But what can be the reasons that these States are not developing and the lot of the people is not improving? Are only the Smaller States developing? There is no such logic to say that a small State or a big state or a new State or an old State alone has the potential of development. This is what I feel. We are facing this problem because all those leaders who have been ruling our country for the last fifty years did not try to develop our country with a comprehensive view. That is the only reason. If our Government had sincerely worked for the development of our country and tried with proper intentions to improve each and every part of our country we would not have been facing such a problem today. People of our country know fully well that few states are developing rapidly and some states are not at all developing. It is natural for every citizen to wish that his state should develop. This wish leads to the concept that if some area of a State is made a separate state, it would gain more recognition and in turn more

---

*English,translation of the original speech delivered in Telugu.

chances of development. If regional disparities have increased[1] in our country, the responsibility lies with the previous governments.

We have included a number of proposals and schemes and allocated special funds in all our five year plans for the development of backward areas. But we could not implement any of our plans successfully. Those parties, which are responsible for the failure, are now supporting the reorganisation of states. This needs to be deprecated. It is like an accused delivering the judgement.

Madam, theoretically and basically our Telugu Desam Party is not in favour of reorganisation of States and formation, of smaller states. The main reason that our party is feeling is that; the leaders who ruled for the last 50 years were talking in terms of administrative viability. Now when Information Technology has come into existence, the whole world has become a small village. We all know about it. Two days back our Prime Minister had an on line talk with the Sarpanchs of many remote Villages directly. Our Hon'ble Chief Minister has started a scheme where every week he speaks to the people all over the state, even in remote villages and tries to understand their problems. When a severe cyclone hit the state of Orissa our state was the first to know about it and we could immediately go to the rescue of that state. So, if administrative viability is given as a reason for reorganisation of state I most humbly beg to differ.

The only problem the States are facing is the economic disparity. How are we going to solve it? Does the centre have enough funds? We hear day in and day out that the centre doesn't have enough funds and it is a fact. Then do the States have sufficient funds? No. They are also suffering from financial crunch. The finance commission has recently submitted a report. Already some states are criticising it. They say that a lot of injustice has been done to them. This being the situation I want to know as to how are we going to develop these states. This act of reorganisation of states is going to increase the problems of financial crunch both for the States as well as the Centre. Some States say that they need only two thousand crores to form a Capital. Bihar has also demanded a very large sum of Rs.179,900 crores in different sectors, after separation of Vananchal State.

For a new State a High Court has to be set up. A separate Assembly, a new Cabinet, a Governor- all this is required for a new state. How are we going to manage the funds? We are already facing the problem of a deficit budgets. So, I want to know from the Hon. Minister as

to how are they going to tackle this financial problem. There are going to be more problems regarding distribution of assets and liabilities too. This is going to lead to a lot of commotion and confusion within the states leading to violence also. Shri Pachouri was also referring to the villages, saying that enough options should be given to them. The villages may have a problem as to which state they should join. All this is done for better pace of economic development but I fear this may remain a wishful thinking.

In the State of Bihar Minerals are in abundance. But is that State making use of those minerals for its development? Who was stopping them for doing so? Just by reconstituting States how can you solve its problems? So, we are only going to face more economic problems and a time may also come when we will have to regret our decision.

Hon'ble home minister said that the new states should be constituted only if the State Assemblies so agree. But this is going to create a lot of Commotion in the States and also in the Assemblies. We are responsible for whatever is happening in our country. If there is slackness in our economic development it is the responsibility of the Central and the State governments. So, at least now the government should declare that no new States would be created. Let there be a commitment from the States and the Centre to utilise all our resources to the hilt and make a sincere effort to develop the country. With these submissions I conclude my speech. Thank you.

उपसभापतिः इसे निमंत्रण या आमंत्रण कुछ भी समझ लीजिए प्रेजीडेंट साहब के यहां एक रिसेप्शन है जहां सबको जाना है क्योंकि 9 अगस्त के सिलसिले में उन्होंने स्वंत्रता सेनानियों को बुलाया है। आप में से भी काफी लोगों को उन्होंने बुलाया होगा इसलिए कोशिश कीजिए कि जब इस पर कोई विवाद ही नहीं है, सिर्फ सपोर्ट ही करनी है इसलिए यदि संक्षेप में भाषण हो जाए तो हमारे गृहमंत्री जी छह बजे से पहले इसका जबाव दे सकते हैं तथा साथ-साथ उनकी जो स्टेटमेंट होनी है वह भी हो सकेगी।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

उपसभापतिः यह सभी लोगों के लिए है। सभी लोग जो बात रखना चाहें वह संक्षेप में रख सकते हैं।

श्री लक्खीराम अग्रवाल : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन बिल, 2000 के संबंध में प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को समझकर इस ओर पग बढ़ाया जिससे आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण स्थापित होने के कगार पर है। मैं इसलिए भी गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि क्योंकि साधारणतया हमारे देश में राज्य पुनर्गठन निर्माण के लिए अनेक बार हिंसात्मक आंदोलन

होते हैं, तोड़-फोड़ होती है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण आंदोलन हुए, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज लगाई गई और इस सरकार ने उनके दर्द को समझकर, उनकी आकांक्षा को समझकर, कोई बहुत बड़ी हिंसात्मक बात न होने की प्रतीक्षा कर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया । इस दिशा में एक नया दृष्टिकोण बनाने के लिए यह सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है । उपसभापति महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य को एक छोटा राज्य कहा जाता है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माण की वह सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो एक राज्य में होनी चाहिए । आज़ादी के बाद आज से 44 वर्ष पूर्व जब भाषा वादी प्रान्तों या दूसरे प्रान्तों की रचना की गई थी तब उस समय विशाल मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना भी की गई। अगर इस राज्य की सीमाओं को हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसका एक छोर एक तरफ राजस्थान को छूता है, दूसरा बिहार को, तीसरा उत्तर प्रदेश को तथा चौथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को छूता है भौगोलिक दृष्टि से देश के अंदर इतने बड़े राज्य का निर्माण

[**उपसभाध्यक्ष (श्री रमाशंकर कौशिक) पीठासीन हुए**]

किया गया है। यहां कोई बहुत अधिक भावात्मक लगाव नहीं था लेकिन क्षेत्र की भाषा हिन्दी थी इसलिए इस आधार पर राज्य की रचना की गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने उदारता के साथ बगैर किसी पृथक्कता की भावना को मन में रखकर, बिना किसी और बात के पिछले 44 साल में मध्य प्रदेश के विकास में, शासन संचालन में अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया है। आज राज्य को लगभग 44साल हो गए हैं लेकिन आज तक का अनुभव यह बताता है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के इलाके का, उसकी आकांक्षाएं, उसका विकास मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हो सका और इसी के कारण वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग प्रारम्भ हुई। छत्तीसगढ़ राज्य को जहां तक कहा जाता है कि एक छोटे राज्य का गठन हो रहा है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है वह मध्य प्रदेश का न केवल एक-तिहाई भाग है बल्कि राजपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, दुर्ग, सरपुजा, नानगांव सहित इसका क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी आबादी लगभग पौने दो करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ असम, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नागालैण्ड, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दमन-दीव, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप से भी बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ का एक जिला बस्तर अकेले केरल राज्य से भी बड़ा है। इसी प्रकार से इस राज्य में आत्मनिर्भर होने के लिए सारी सम्पदायें मौजूद हैं। यहां पर जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अपार खनिज संसाधन हैं। कोयला और लोहा अयस्क से लेकर हीरा खदानें तक यहां मौजूद हैं। इस प्रकार से यहां पर न केवल खनिज सम्पदायें मौजूद हैं बल्कि यहां पर जल सम्पदा भी भारी तादाद में है। अनेक बड़ी बड़ी नदियां इस क्षेत्र में है। इसी प्रकार से जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर अपार कृषि सम्पदा है। यहां पर दस हजार प्रजातियां धान की उगाई जाती हैं । इसी प्रकार से इस क्षेत्र में अपार वन सम्पदा है। बहुमूल्य तेंदू पत्ता, बहुमूल्य इमारती लकड़ी और अनेक वन-सम्पदाओं से भरा हुआ यह क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अपार श्रम सम्पदा भी यहां मौजूद है। लाखों श्रमिक दूसरे प्रदेशों में अपना घरबार छोड़कर, अपनी रोजी-रोटी के लिए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र का संतुलित विकास नहीं हुआ है। इतने सारे साधन होने के बाद भी इस क्षेत्र का संतुलित विकास नहीं हुआ, इस कारण इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने, किसी क्षेत्रीयता की भावना से नहीं बल्कि अपने विकास की तड़प को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। जैसा कि अभी मेरे पूर्व माननीय

सांसदों ने यहां पर गिनाया है कि कांग्रेस इस बारे में आना-कानी करती रही, बाद में कांग्रेस के चार लोग इंडिविजुअल आधार पर, कांग्रेस के आधार पर नही, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जरूर प्रयास करते रहे। आज छत्तीसगढ़ का जन जन इस बात को कहता है कि चालीस साल तक कांग्रेस ने देश पर एक छत्र राज किया। केंद्र में और राज्य में इसने राज किया लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इसी कारण लोग कहते हैं कि कांग्रेस नारे लगाती रही लेकिन राज्य निर्माण में उसकी कोई रुचि नहीं थी।

उपसभापति(श्री रमा शंकर कौशिक): अब आप कृपया समाप्त करिए।

श्री लक्खीराम अग्रवाल : लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही जो वायदा जनता के साथ किया था उसको निभाने के लिए सार्थक पहल करके राज्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाया है। आज इसके लिए छत्तीसगढ़ में अपार खुशी है। जैसा कि विक्रम जी ने बताया, मैं और विक्रम जी परसों रायपुर गए थे। आज़ादी के बाद पहली बार वहां पर उत्साह का माहोल है। लोगों में इतनी खुशी है और विकास प्रति ललक है जो कि वास्तव में उल्लेखनीय है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। जैसा मैंने गिनाया है छत्तीसगढ़ राज्य बनने में आर्थिक रूप से सक्षम है। लेकिन इसके लिए भी हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार है उस पर 20 हजार करोड़ का कर्जा है। 20 हजार करोड़ का कर्जा है यह परसों ही मुख्य मंत्री ने विधान सभा मे कहा है। शायद हमारे हिस्से में भी कर्जा दिया जाए। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा, भारत सरकार से कहूंगा कि यह जो नया राज्य बन रहा है जिसका एक बहुत बड़ा इलाका पिछड़ा हुआ है, जो अनुसूचित जाति औऱ अनुसुचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के बाहुल्य वाला इलाका है, ऐसे राज्य को पहले से ही अगर कर्जे में डुबा दिया जाएगा तो विकास में हमें अनेकों कठिनाइयां आयेंगी। क्योंकि नई राजधानी बनानी पड़ेगी और वहां का विकास भी पूरी तरह से नही हुआ है इसलिए हम पर भारत सरकार केंद्र सरकार की कृपा दृष्टि चाहिए। हम इस बात को कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बहुत जल्द ही अपने साधनों से अपने पैरों पर खड़ा होकर एक सम्पन्न राज्य के रूप में देश में गिना जाएगा। मेरे एक पूर्व वक्ता श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का 50 प्रतिशत इलाका नक्सल प्रभावित है। 50 प्रतिशत तो नहीं है लेकिन यह बात, उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित है कि उसके कुछ जिले बस्तर, सरगुजा और खासकर राजनन्दगांव नक्सलवादी प्रभावित हैं। यह समस्या तो छत्तीसगढ़ को विरासत में मिलेगी । मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को इस नक्सली समस्या से निपटने के लिए…

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया समाप्त करें ।

श्री लक्खीराम अग्रवाल : इसके लिए विशेषरुप से केंद्रीय सरकार इसको सहायता देगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रद्धेय धम्मा वीरियो (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब छत्तीसगढ़ का मामला है तो मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं। इस प्रस्ताव के लिए न मेरी तरफ से हां और न मेरी तरफ से ना हैं। लेकिन मैं अपने मन की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी जवानी के करीब 10 साल छत्तीसगढ़ के एरिया में बीते हैं। मैंने भिलाई को बनते देखा, मैंने दुर्ग को देखा, मैंने राजनंदगांव को देखा ।....(**व्यवधान**)... मैंने इस सब एरिया को देखा है । अग्रवाल जी तो घर के अंदर रहते थे,

वह बाहर नहीं निकलते थे, मैंने बाहर घूम कर देखा है। आजादी के पहले हमारे देश के लोग इस देश को आजाद करने के लिए लड़े थे, देश को आजाद कराने के बाद बड़ी खुशहाली के साथ इकट्ठे रहने के लिए उन्होंने एक सपना देखा था, एक दूसरे के मित्र बनना चाहते थे। इस तरह टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमने आजादी की लडाई नहीं लड़ी थी । आज हमें इस सदन में देखना पड़ रहा है कि किस तरह से भाई को भाई से अलग किया जा रहा है। एक भाई दूसरे को किस तरह से लात मारता है। एक भाई किस तरह से दूसरे कि गर्दन काटता है । इस पवित्र जगह पर आ कर हम को यह देखना पड़ रहा है। मैंने असम का विभाजन देखा। एक असम था उसको 6 टुकडो में बांट दिया गया। मैं पिछले साल एज़ चेरमैन ट्राइफेड में मिज़ोरम गया था औऱ वहां की इकोनोमी को देख कर मुझे बहुत दुख हुआ। वहां के लोग किस तरह की स्थिति में है। तनख्वाह मिलती है, उसके साथ डवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। आकाश की तरफ सेंटर की तरफ देखते रहते हैं कि कब पैसे मिलेंगे और कुछ न कुछ रोड बनाएंगे। वहां के लोग बड़ी मेहनत करते हैं औऱ स्कवाश करके सब्जी पैदा करते हैं जिसकी कीमत मिजोरम में एक रुपया प्रति किलो है औऱ गोहाटी में उसकी कीमत 6 रुपये प्रति किलो है। मैंने वहां के लोगों से कहा गोहाटी में क्यों नहीं भेजते हैं, गोहाटी में भेज दो वहां उसकी मार्किटिंग है। बड़े परिश्रम के बाद तय हुआ लेकिन मुझे मिजोरम में एक भी ड्राइवर नहीं मिला जो ट्रक चला कर उस सामान को गोहाटी ले जाए। कोई भी ड्राइवर इसके लिए तौयार नहीं था । कहता है गोहाटी नही जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? एक ड्राइवर नहीं मिला गोहाटी में सामान ले जाने के लिए। इस विभाजन से हमें क्या मिला है? इस विभाजन ने एक दूसरे के आपसी प्यार को छीन लिया है। वहीं मिज़ोरम के लड़के जो आज से दस साल, बीस साल पहले गोहाटी में शिलांग में पढ़ते थे वहां से उनको एजुकेशन मिला लेकिन आज पैसा कमाने के लिए भी वह गोहाटी जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप क्या आपरेशन कर रहे हैं। इन्सान का आपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, देश का आपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुर्दा एक तरफ रह जाए और दिल दूसरी तरफ रह जाए। कैसे वह जिन्दा रहेगा? दिल एक तरफ औऱ गुर्दा एक तरफ। कैसे इस देश का कल्याण हो सकता है? महोदय, आप बड़ी खुशी मना रहे हैं। हमारे अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि पटाखे फूट रहे हैं जैसे आजादी के टाइम पर देश में आनंद हुआ। आज उसी तरह का आंनद छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। आपके भाई सिधी, शहडौल, मंडला एवं बालाघाट के लोग किस तरह से आज रो रहे हैं। आज किस तरह से सिधी के लोग रो रहे है। जाकर देखें सिधी के अंदर 40 परसेंट लोग ट्राइब्लस हैं, शहडोल के अंदर 53 परसेंट लोग ट्राइब्लस हैं, मंडला के अंदर 63 परसेंट और बालाघाट के अंदर 37 परसेंट लोग ट्राइब्लस हैं। इनको आपने छोड़ दिया। ये लोग किधर रह गए और दूसरे लोग किधर रह गए? इनका शादी-ब्याह वहां बस्तर के लोगों के साथ होता था और वहां के लोगों की शादी इन लोगों के साथ होती थी। अब बरात कैसे जाएगी वहां? बारात को परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए क्या आपने दिया है? दें तो पूरा दें। लेकिन आपने उनको अलग कर दिया - चार डिस्ट्रिक्ट्स को, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को । इसलिए दिल में कितना काला है।

गृह मंत्री जी क्या आप भी चाहते हैं कि कोई ट्राइबल चीफ मिनिस्टर नहीं बने? बैकवर्ड को लोग चीफ मिनिस्टर न बनें? आखिर आजादी के 50 साल के बाद जो भूमि पुत्र हैं जिनको सन आफ द सायल कहते हैं आदिवासियों को सन आफ द सायल कहते हैं, इस देश के मूल रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए दिल में क्या जगह है? जगह नहीं है। उनका घर बसने नहीं

देना चाहते हैं। वे गुलामी करें। पीछे पीछे चलें। टोकरी सिर पर लेकर चलें। नीति तो बहुत ब़ढिया है लेकिन नीयत भी तो साफ कीजिए। नीयत साफ नहीं है तो नीति कभी लागु नही होगी।

इसलिए मैं सदन की तरफ से महोदया, विनम्रता से अनुरोध करुंगा कि फिर पुनर्विचार करिए। यहां के आदिवासी चार जिलों- बालाघाट, मंडला, शहडोल और सिधी - के लोगों के दिल मत दुखाइए। इनके कलेजे मत दुखाइए, इनके मन को मत दुखाइए। इनके सारे एम.पी.एम.एल.ए. मिलकर प्रधान मंत्री से मिले, आपसे मिले औऱ रिटन में भी दिया है। इनकी भावना की कद्र करिए। कद्र नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर क्या हो रहा है? आज कह रहे हैं कि वहां नक्सल मूवमेंट है। नक्सल ऐसे नहीं आए। ये पढ़े लिखे लड़के हैं। अनपढ़ नहीं हैं अनपढ़ कभी नक्सल नहीं बनते हैं। जैसे आन्ध्र प्रदेश के अंदर कांकतिया यूनिवर्सिटी है, वहां की यूनिवर्सिटी में ये नक्सल पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि यह आप बनाने जा रहे हैं तो ठीक से बनाकर दीजिए उन लोगों को। इन आदिवासी लोगों को वहां रहने के लिए मौका दीजिए। वहां के लोगों को शांति से रहने दीजिए। उनके अंदर लीडरशिप का ग्रोथ करिए, उनके अंदर लीडरशिप का डेवलपमेंट करिए औऱ इस देश के अंदर बिहार टाइप की भागीदारी बनाने का काम मत कीजिए।

अभी हम लोग सदन में भाषण सुन रहे हैं। इस तरफ के भी सुने, उस तरफ के भी सुने। दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी खड़ा होकर बोल नहीं पाया। न इस पार्टी से शुरु हुआ, न उस पार्टी से होगा। बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं मैं भावना को व्यक्त कर रहा हूं कि नींबू को ज्यादा मत निचोड़िए। नींबू को ज्यादा निचोड़ दिया तो कैसा रस निकलेगा? कड़वा रस निकलेगा। वह सबके लिए लाभदायक नहीं बनेगा। आपके लिए भी नहीं बनेगा, मेरे लिए भी नहीं बनेगा, इस देश के लिए भी नहीं बनेगा। धन्यवाद ।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, Shri Ramachandra Reddy, my learned friend, has said, just now, that there should not be any bifurcation of a State. I want to remind him that the Madras Presidency was consisting of Madras, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and certain parts of Orissa. It was, subsequently, bifurcated into four States. Sir, Shri Potti Sreeramulu, who was a great leader, sat on a hunger strike demanding a separate Andhra Pradesh. He said, while sitting on a hunger strike, that he would die before they got a separate State. Fortunately, Andhra Pradesh was separated from Madras Presidency and the same was given into his hands. What was the reason for that? The sentiments of the people were respected. There was a need, there was an urgency and, on that ground, Madras was bifurcated and Andhra Pradesh was formed. Sir, Mr. Ramachandra Reddy is one of the Members of Parliament from that State. So, now, they are dividing Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar, and they are naming it as Chattisgarh, Uttranchal and Jharkhand. As far as the National Democratic Alliance is concerned, they said in their agenda that they wanted to create these States. As far as this Government is concerned, what they say, they will do.

This is their motto and they are doing it. The reason for bifurcation of the States is, to have a good administration and an easy access to administration for people. Taking the poor people into consideration, the bifurcations are being done. Secondly the feelings and aspirations of the people, living in those areas, have been respected. That is why the bifurcation of these States is being done.

Thirdly, as the poor people are, at present, in need of justice at their doorsteps, it is being contemplated to establish a High Court in Chattisgarh so that the people can have an easy access to the High Court and have their litigations settled. Fourthly, the unity and integrity of the States will be there; otherwise, there will be a sort of calamity, and confusion will prevail in the minds of the people of that particular area. In order to have unity and integrity, and to respect the sentiments of those people these States are being bifurcated. The legislature is in their hands, the executive is at their disposal, and the judiciary is at their doorsteps. Taking these steps into consideration, these bifurcations are made. So, I wholeheartedly welcome this Bill, the DMK wholeheartedly supports this Bill, but, at the same time, I want to say only one thing to the hon. Home Minister, Shri Advaniji that I am from Pondicherry. Every State has been bifurcated into two parts. Each State has been conferred with all sorts of powers-High Courts, Public Service Commissions, and all other things. As far as Pondicherry is concerned, we are asking for only more powers. We are not even asking for a Statehood. Give some more powers to us. Amend section 44 of the Government of Union Territories Act. The whole power has been vested with the Administrator. The Council of Ministers is only advisory. Whatever advice the Council of Ministers will give, the Administrator will immediately turn it down. The discretion has been vested in the Administrator. As far as article 174 of the Constitution is concerned, it deals with the powers of the Councils of Ministers of the States. As far as that particular provision is concerned, every thing has been vested in the Council of Ministers, and not with the Governor. So, I request with great respect to Advaniji to make an amendment to section 44 of the Act. Recently, the Hon. Minister also visited Pondicherry. We had invited him. He delivered a good speech there on the occasion of opening of a hospital. So, I request him to do something for Pondicherry and give some more powers to the people of Pondicherry. Here, I would also like to say something with reference to uniform tax scheme. We are not in need of it. We disliked it. We staged several marches also, in spite of that, it has been imposed on us. It has been imposed on us, and we are following it. So,

please take into consideration these facts. Do something for the people of Pondicherry. Chattisgarh is having a High Court, but Pondicherry is not having any High Court. We are dependent on Madras since 1963. So, I once again urge upon the hon. Minister to kindly take into consideration these facts and please do the needful. I wholeheartedly welcome this Bill. But, at the same time, take Pondicherry also into consideration.

प्रो. रामगोपाल यादव: (उत्तर प्रदेश)ः श्रीमन्, यह जो विधेयक लाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए, इस संदर्भ में मैं सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब इस संसद की दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर कुछ ऐसे फैसले किए, जो हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि वे ठीक थे, लेकिन इन दि लॉग रन, वे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, चाहे वह पेटेंट बिल हो, एल.आई.सी. बिल हो और चाहे नए राज्यों के फॉरमेशन का यह मामला हो।

एक तो लोगों के मन में यह एक दम गलफहमी है कि छोटा राज्य बन जाएगा तो विकास हो जाएगा। अगर छोटा राज्य ही विकास का मापदंड होता तो फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना में सारा नार्थ-ईस्ट सम्पन्न होता और जितने छोटे-छोटे राज्य हैं, वे सम्पन्न होते, जो अभी भी केन्द्र की मर्सी पर जिंदा हैं। कई राज्य तो ऐसे है कि बहुत ज्यादा पर-केपिटा असिस्टेंट दिल्ली से मिलती है, तब वे अपना काम चला पाते हैं, छोटे होने की वजह से न विकसित हो सके हैं और न कोई उनको लाभ हो सका है। एक जो फेडरेशन होता है, जो संघ होता है, उस के लिए दो चीजें बहुत ऐसेंशियल होती हैं - एक तो नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटिग्रेशन की भावना व्यक्ति के अंदर और दूसरे उसका बिल्कुल कोंट्राडिक्ट्री होता है, लेकिन दोनो कोंट्राडिक्ट्री भावनाओं का एक साथ रहना जरुरी होता है सघं के लिए – प्रोवेंशियल ऐटॉनमी और नेशनल इंटिग्रेशन। यह सिद्वान्त पूरी दुनिया में सही पाया जाएगा कि जैसे-जैसे यूनिटें बढ़ती जाएंगी प्रोवेशियल ऐटॉनमी का क्वांटम नेशनल ऐटॉनमी से ज्यादा होता चला जाएगा और जब ज्यादा यूनिटें हो जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब केन्द्र के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि सारी यूनिटों को एक साथ रखा जाए। इसलिए मैं बिना छोटे राज्यों की किसी तरह की, किसी की नीयत पर संदेह किए हुए, हो भी नहीं सकता और न ही मेरी यह मंशा है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश के कुछ बड़े राज्य बड़े बने रहेंगे तब तक इस देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं हो सकता है, वे एक बहुत मजबूत बोन इस देश की एकता बनाए रखने के लिए साबित होंगे।

एक और नया अब आपने एक पिंडारा बॉक्स खोल दिया है। मुझे यह कहने में कोई संदेह नही है कि कई बार जनता की इच्छा नहीं होती कि उन्हें एक नया राज्य मिले, कुछ नेताओं की इच्छा होती है कि किसी तरह से वे मुख्य मंत्री बन जाएं, चाहे वे अपने घर के और अपने जिले के ही मुख्य मंत्री बनें। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नेतागण और नए राज्य बनाने की मांग करने लगे हैं। उन्हें तो एक जिले का मुख्य मंत्री बनना है, मुख्य मंत्री बना दीजिए, राज्य के चाहे 20, 50 या 100 टुकड़े हो जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं । जब यह मानसिकता होती है तो वह बहुत खतरनाक होती है और यह मानसिकता है लोगों में। जनता की आकांक्षा ज्यादा नहीं है, नेताओं की है। जनता के मन में तमाम तरह की भावनाए उकसाते हैं और उसके बाद उनको सड़कों पर लाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और होता कुछ नहीं । हम तो

4.00 P.M.

चाहते हैं, जैसा अभी अग्रवाल जी ने कहा है, कि बहुत खुशियां हैं, भगवान करे कि नया छत्तीसगढ़ राज्य इतना सम्पन्न हो, फले-फूले कि जो लोगों के मन में खुशी है, वह वास्तविकता में बदल जाए, लेकिन मुझे आशंका बहुत है। मुझे आशंका है क्योंकि मैंने देखा है और इतिहास इस बात का गवाह है कि छोटा राज्य होना विकास का कोई मापदंड नहीं रह गया है।

इसलिए अब जो राज्या बनाने जा रहे हैं, श्रीमन्, यह सोचिए और इस पर आगे के लिए अंकुश लगाने का काम कीजिए, बिना स्टेट्स रिऑरगेनाइजेशन कमीशन के बनाए, किसी नए राज्य की स्थापना न कीजिए वरना किसी न किसी दिन देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं तहेदिल से बधाई दूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए पहल की है। महोदय, चारों ओर आज खुशी का माहौल है, चारों ओर जोश है और वहां की जनता आनंदित है, मिठाइयां बंट रही हैं, दिवाली मनाई जा रही है। महोदय, मेरे प्रदेश से लगा हुआ वह भाग है। मैं विदर्भ से आता हूं और मैं देख रहा हूं कि वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं वहां के लोगों की भलाई और सुख-समृद्धि की कामना करता हूं। मुझे आशा है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है, उससे वहां के लाखों लोगों की प्रगति होगी और एक अच्छा जीवन वे व्यतीत कर सकेंगे। विशेष रूप से वहां पर जो आदिवासी भाई रहते हैं, वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे और वहां पर जो प्राकृतिक साधन हैं, मिनरल्स हैं, उनका भी पूरा उपयोग हो सकेगा।

महोदय, उसके बाजू में हम लोग रहते हैं और हम यानी विदर्भ के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जब इतने उदार मन से गृह मंत्री जी सबकी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं तो शायद वे हमारी आशा भी पूरी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महोदया, विदर्भ की जो मांग है, वह करीब 1950 से चली आ रही है। महोदय, मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी जब चुनाव से पूर्व बी.जे.पी. ने अपने मैनीफेस्टों में इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम लोग पावर में वापस लौट आते हैं तो निश्चित रूप से विदर्भ अलग कर दिया जाएगा, विदर्भ राज्य की घोषणा कर दी जाएगी।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि जो बात आपने उस समय कही थी, आपकी पार्टी ने कही थी, यही मौका है कि उसे पूरा कर दीजिए। इसके लिए वहां पर हजारों लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने लाठियां खाई हैं, वहां पर गोलियां चली हैं और लगातार वह आंदोलन चलता रहा है। अभी आप राज्यों के गठन के मूड में भी हैं, इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि आप निश्चित रूप से इसी सत्र में विदर्भ राज्य के गठन की घोषणा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this Bill and congratulate the Government, particularly the hon. Home Minister who took the initiative to get the Bill passed. Sir, the

creation of new States is based on certain principles and policies. The policy of every Government is to see the welfare of the particular region and also the people. Many hon. Members have spoken on this issue. My earnest submission to this House is —after the various developments and demands from the people,- the Government has now come forward with this Bill — it should have been done much earlier. We do not know the reasons as to why it was not done. But it is nice that they have taken this decision and have come forward with this Bill. That is why I want to congratulate the present Government as also the hon. Home Minister.

Sir, in the meantime, I appeal to the Government to see to it that proper infrastructure and efficient machinery is provided to that State. When the Government is going to open offices, etc. in the new State, it is the duty of the Government to see to it that all necessary facilities are provided to that State. However, Sir, I have a great apprehension. With a great caution, I am submitting to the hon. Minister that though creation of small States by carving out a bigger State is an appreciable idea, yet, at the same time, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister and of this Government to the circumstances which lead to the demand for creation of new States. Sir, there were voices for creation of new States in the South also because of non-establishment of a High Court, non-establishment of railway zone, non-laying of roads and non-carrying out of other development works and non-providing of sufficient amount for proper development of the State. Sir, due to all these reasons, the demand for a new State is raised. Sir, I would like to draw the attention of the Home Minister to one fact that our predecessors fought for the unification of this country under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. We all know that leaders of various political parties raise their voice for the creation of new States, if they are not able to fulfil their ambitions of becoming Chief Ministers. I say this on a sorry note that this type of passion should not be developed by any party in this country. Therefore, I urge upon the Government and the Home Minister to look into this thing properly. Sir, there is an example of Telengana in this regard. Now, I want to draw the attention of the hon. Home Minister to one thing; and I am sorry to say that a railway zone is not provided and a High Court bench is also not provided to the northern part of Karnataka. Therefore, they are demanding that a separate State be carved out. Sir, it is not in the interest of the nation. It is not good for the unity and integrity of this country. I suggest that while making these smaller States, larger interests should be taken into consideration and the- Government should see to it that a yardstick is

applied in this regard. Moreover, the leaders of various political parties of this country must restrain themselves from making statements on the creation of a new State in the interest of that State and in the interest of the nation. So, I once again call upon the Government to see to it that proper infrastructural facilities and adequate funds are provided to the new States. The Government should also see to it that the States which are losing revenue out of the creation of the new State are also adequately compensated.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support this Bill. My party, CPI, was raising this demand of formation of a new State of Chhattisgarh for the last several years and our party has been an active constituent and participant in the movement unleashed by the *Chhattisgarh Rajya Nirnnan Sangharsh Morcha.* Now, I am happy that this long cherished ambition is going to become a reality. Sir, several arguments are being raised about the formation of a State. To reorganise the States on linguistic basis was really a demand put-forth by the national movement itself, and on that basis 1956 States' Reorganisation took place. At that time, about 7 States were formed on linguistic basis and the remaining portions were bundled together, and as such the State of Madhya Pradesh was formed. That is what has happened at that time.

The States Reorganisation Commission itself has admitted that historically there was no continuous relationship between the people in this area. Finally two things were said. For administrative and economic reasons, it would be better to form a State like this. The second thing they pointed out was that the whole area was Hindi-speaking. From what was stated by the States Reorganisation Commission, one can come to the conclusion that the whole area was not a Hindi-speaking area. Andhra had put up a claim that the southern portion of the erstwhile Bastar State should form part of Andhra Pradesh. That claim was rejected by the States Reorganisation Commission on the ground that the people there were not speaking Telugu. They were speaking some other languages. They said that the people of that area were speaking Halbi to Bargi and Gondi languages, not Telugu. From various documents I understand that majority of the people there, especially the tribals, spoke their own language. Unfortunately they could not develop that language. It was obviously because they did not have a political clout and the Government did not favour it. Therefore, on the basis of the language this area is a contiguous area because a language is being spoken there by a majority of the people there.

My another point is, when Madhya Pradesh was formed, expectations were roused in various areas that they would get further development in the form of infrastructure as well as economic development. Unfortunately, what happened was that even at the starting point this whole area was neglected. They located the High Court in Jabalpur and had sittings in Gwalior or at some other places. They also shifted Government offices to some other places. This is how the whole of Chhattisgarh was neglected at that time. Therefore, the neglect of the area was there all along. Moreover, when the question of forming a new railway zone came up, that area was neglected. Some people may argue that Bhilai had been developed or mines in Bailadila have been developed. But that also was a distorted way of development. Firstly, because of that development, local people, particularly the tribals and the Scheduled Castes, did not benefit at all. They did not get any job there because they were not qualified. Of course, they might have got some menial job. Therefore, that also did not help them. Some industries are coming up. Take for example, iron ore. Iron ore is being exported to other countries. We are not taking steps to produce value-added goods out of this mineral. Had we done this, we could have generated more employment opportunities. That has not happened.

With regard to education and other things, they have been neglected. In the case of tribals, two things have happened. If you examine, what has happened during the last three or four decades, you will find that the land belonging to the tribals has been grabbed in large chunks by vested interests, by landlords, and the hundis. All these people have grabbed the land. Some of the bureaucrats, revenue officials and the police officials connived with them. As a result of this, tribal people are suffering. Naturally, they have a grievance that their interests are not being looked after and that their area is not being developed. Therefore, one cannot blame them for raising a demand like that.

When a new State is going to be formed, will it solve all the problems? Certainly not. Even the problems of the whole of India or bigger States could not be solved even after 50 years of our Independence, even after the democratic set up has come into existence. But what has happened? There is an uneven development in the whole country. We could not solve the problem of unemployment. We could not solve the problem of illiteracy and other things. The same thing has happened in the

case of other States. In the case of Madhya Pradesh, I understand that in education, in health and in other sectors, compared to other States, it is placed at a lower level.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया अब समाप्त करें।

SHRI J. CHITHARANJAN : Of course, Chhattisgarh area also has not developed. With the formation of a new State, of course, it will help them to develop. But it will not be a solution for all the problems. For that the consciousness of the ordinary people, including the tribal people who are at the lower rung of the society has to be developed so that in the new State they can understand their rights and their interests. Only when they can assert their rights, can their problems be solved. I have nothing more to add to this. With these words, I support the Bill.

श्री भगतराम मनहर (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहता था परन्तु यह सबको समझ में नहीं आएगी इसलिए आपकी अनुमति से मैं हिन्दी में ही बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप छत्तीसगढ़ी में बोलते तो अच्छा रहता। छत्तीसगढ़ी कोई अलग भाषा नहीं है, हिन्दी की ही एक बोली है और हम लोगों की समझ में आती है ।

श्री भगतराम मनहरः महोदय, मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विद्यामान मध्य प्रदेश राज्य के पुनगर्ठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग नयी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ और नये भारत के लिए नया छत्तीसगढ़ की आवाज वर्षो से उठती आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ की बोलचाल, पहनावा, खानपान, रहन सहन एवं संस्कृति मध्य प्रदेश के अन्य भागों से अलग पहचान लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न वर्गों के पहनावे, रीति-रिवाज़ों में अत्यधिक समानता है। यही समानता एकात्म छत्तीसगढी चेतना का सूचक है। इतिहास के पन्नों में दण्डकारण्य और गोंडवाना के नाम से जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ छत्तीस किलों का अंचल है। छत्तीसगढ़, हल्वी,गोंडी एवं उरांव यहां की प्रमुख बोलियां है । संविधान के अनुच्छेद 347 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली को सरकारी मान्यता दिये जाने की मांग है । मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का उदय् एक ऐतिहासिक सत्य है। यह शोषण से मुक्ति, जाति एवं भाषायी अस्मिता, स्थानीय संसाधनों की लूट, आर्थिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक पहचान पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का मुख्य आधार है । यह मांग अलगाववदी नहीं है। राजनैतिक चेतना, शोषण की पीड़ा और लुप्त होती अस्मिता को आवाज देने एवं जागृत करने का काम संत महात्माओं ने अलख जगाकर किया जिसमें प्रमुख हैं - वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, भगवान महावीर, महात्मा गौतम, महात्मा कबीर औऱ सत बाबा घासीदास आदि। उनकी वाणी उपदेशों के अनुरुप एवं उनके निर्देशित शांति एवं अहिंसा के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम यहां के सपूतों ने किया। उसमें प्रमुख हैं माधवराव सप्रे, शहीद वीर नारायण सिंह, अछुतोद्वार के जनक पंडित सुन्दर लाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर ठाकुर छेदी लाल, डॉ. खूब चन्द बघेल,

ई.राघवेन्द्र राव, मिनीमाता, स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर, विसाहूदास महंत, पंडित लोचन प्रसाद पांडेय आदि। ये वे लोग थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का सपना देखा था।

महोदय, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को जीवित एवं जन चेतना जागृत करने का काम छत्तीसगढ़ महासभा, भ्रातृसंघ, संघर्ष मोर्चा, छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ मंच, गोंडवाना पार्टी, छत्तीसगढ़ फौज और अनेकों जनप्रतिनिधियों ने किया। उनके इस काम को भी भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लेखकों और कवियों का भी इसमें काफी योगदान रहा है। ऐसे जाने-अनजाने सभी महापुरूष साधुवाद के पात्र हैं। हजारों वर्षों से छत्तीसगढ़ भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से सुसंगठित राज्य रहा है। इसकी आबादी 1 करोड़ 76 लाख के लगभग है जिसमें 85 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार 133 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य 1 लाख 502 वर्ग किलोमीटर देशी रियासतों से बना है और 30 हज़ार 692 वर्ग किलोमिटर खालसा से मिलकर बना है। यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.52 प्रतिशित है। इस राज्य में 16 ज़िले एवं 3 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ 16 राज्यों से बड़ा राज्य है तथा तुलनात्मक दृष्टि से पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, हॉलैंड या श्रीलंका से बड़ा है।

पौराणिक इतिहास में भी इसका काफी उल्लेख है। दक्षिण कौशल के नाम से यह एक गणराज्य था जिसकी राजधानी रतनपुर थी। वाल्मीकि, शबरी आदि कई ऋषि मुनियों की यह तपस्थली रहा है। जशपुर की मेखला पर्वतमार्ग से व इव नदी से लेकर बस्तर के दंडकारण्य और इन्द्रावती तक इसकी सीमा है। इसके उत्तर में महामाया रतनपुर, दक्षिण में दन्तेश्वरी दन्तेवाड़ा, पूर्व में चन्द्रहासिनी चन्द्रपुर, पश्चिम में बमलेश्वरी माई डोंगरगढ़ में है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह एक समृद्व राज्य रहा है। इसमें बहने वाली नदियों में महानदी, हसदेव, शिवनाथ, इन्द्रावती आदि प्रमुख हैं। यहां के लोक नृत्य जैसे राउत नाच, करमा नाच, ददरिया, सुआ नृत्य, बैगा नृत्य, पंथी नृत्य आदि संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।

महोदय, छत्तीसगढ़ अतुल प्राकृतिक सम्पदाओं और पुरातात्विक वैभवों से भरपूर है। यह स्वयं में सुन्दर एवं प्राकृतिक संसधानों से भरा है। छत्तीसगढ़ का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। जहां सागौन, साल, बीजा, साजा आदि लकड़ियां यहां के वनों की विशेषता है वहीं यहां बांस के प्रसिद्व वन भी हैं । वनोपज में तेन्दु पत्ता, गोंद हरा आंवला, बहेड़ा, महुआ, चिरौंजी आदि की प्रचुरता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप कृपया समाप्त करें ।

श्री भगतराम मनहर : महोदय, यह मेरी पहली स्पीच है, जरा दो मिनट और दे दीजिए।....(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : आप तो पढ़ रहे हैं... मान्यवर, आप स्पीच कहां दे रहे हैं?

श्री भगतराम मनहर : महोदय, यहां की धरती में कोयला, हीरा, चूना पत्थर, यूरेनियम, टीन आदि बहुतायत में पाया जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी नदी की रेत में स्वर्ण कण मिलते हैं। यहां सबसे अधिक प्रजातियों की धान की किस्में पैदा होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को "धान का कटोरा" भी कहा जाता है।

महोदय, खंड 73 में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान रखा जाए, इसकी मांग है यद्यपि इस विधेयक में लोक सेवा आयोग एक ही रखने का उल्लेख है। इसका एक कार्यालय छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर शुरु किया जाना चाहिए। खंड-68 के अनुसार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य सेवा एवं भारतीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ केडर का निर्माण हो । इस राज्य की उपेक्षा कैसे हो रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है । क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क के रुप में छत्तीसगढ़ से 1200 करोड़ मिलता है तथा इस अंचल में सिर्फ 26 प्रतिशित खर्च होता है । इसी प्रकार सातवीं अनुसूची (धारा-60) को देखिए, सरकारी कम्पनियों की 28 सूची उसके मुख्यालय सहित प्रकाशित की गई है । उसमें क्रमांक 23 मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रायपुर तथा आठवीं अनुसूची (धारा-66) में प्रशिक्षण संस्थाओं\केन्द्रों की सूची की संख्या 40 है उसमें सिर्फ एक मुख्यालय मत्सय उद्योग रायपुर में है । इस तरह 68 कम्पनियों, संस्थानों में से छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो कम्पनियां, संस्था हैं। प्रति व्यक्ति यदि व्यय को देखें तो भोपाल में 1145रु. बिंध्य में 913 रु, औऱ होशंगाबाद में 955 रु. वहीं छत्तीसगढ़ में 886.60 रुपये प्रति व्यक्ति है । ये कुछ छत्तीसगढ़ की उपेक्षा के उदाहरण हैं।

उपसभापति (श्री रमा शंकर कोशिक) : कृपया समाप्त करिए ।

श्री भगतराम मनहर : उपेक्षा, अवहेलना और अविकास से मुक्ति की इसी छटपटाहट की कोख से फूटा है पृथक राज्य के गठन का स्वप्न। छत्तीसगढ़ के लोगों ने विकास का यह स्वप्न पहली बार नहीं देखा है, यह तो अनवरत ऐतिहासिक काल से आज तक जितने भी आकार प्रकारों में परिवर्तन आया है, वह विकास की छटपटाहट की ही एक उत्कंठा है।.....(**व्यवधान**)...... जो आज साकार होने जा रहा है।

उपसभाध्यक्षक (श्री रमा शंकर कौशिक) : धन्यवाद ।

श्री भगतराम मनहर : मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और एक शलोक यहां पर पढ़ता हूं -
"ओं आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मवर्चसी जायताम्।
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिवयाथीः महारथो जायताम।
दोग्धी धेनुर्वोढाऽनड्वानशुः सप्तिः पुरथिर्योषा।
जिष्णूथेष्टाः सभेयो युवास्य जजपमानास्य वीरो जायतम्।
निकामे निकामे न्: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः
पच्यन्तां योगक्षेमों नः कल्पताम्।

इसका अर्थ है- हे ज्ञानस्वरुप परमात्मन, हमारे देश में तेजस्वी विद्वान जन्म लें...।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कोशिक) : मान्यवर, आप समाप्त करें । कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय श्री मार्गबन्धु ।

श्री भगतराम मनहर : अंत में, मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कारण यह बिल सदन में आया और इसके साथ ही साथ मैं सोनिया जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि समय-समय पर, जहां भी उनको सुलभ मंच मिला, छत्तीसगढ़ बिल के समर्थन के बारे में समर्थन दिया। मैं इसके साथ ही दिग्विजय सिंह जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि बिना उनके सहयोग के बिल पास होना संभव नहीं था । मेरा पैगाम है, मोहब्बत है, जहां तक भी पहुंचे ।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): I thank you, Mr. Vice-Chairman. My Party, ADMK, is not in agreement with this Bill. It leads to disintegration of the nation. What we want is more powers for the States. By creation of more States nothing can be achieved. Whatever is to be achieved can be done within the existing State itself. I cite an instance. For years together, my learned friend, Shri Shri C.P. Thirunavukkarasu, a DMK Member, has been crying hoarse for creation of a separate State for Pondicherry. Now, he has given up that cry, but he wants more powers! That itself is an additional point for my argument. The smaller States which are not viable *...(Interruptions)...*

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: You want to bifurcate Pondicherry!

SHRI R. MARGABANDU: The smaller States which are not viable cannot survive well. I would like to state the reason. Sir, merely 10 per cent of the population constitutes the Government servants, but nearly 60 per cent of the State Revenue is given to them by way of salary, and for 90 per cent of the common public, nothing has been done; nothing has gone to them. I would like to state that this kind of formation of new States is irrelevant.

> "The region is not emotionally surcharged with the statehood demand," says an analyst, "because the proposal to slice Chhattisgarh off Madhya Pradesh is only motivated by political reasons and not inspired by popular aspirations." "The Government proposed to carve out Chhattisgarh State ih an apparent bid to reap electoral harvest in the Assembly polls."

In this way, many State Governments which are going to face the Assembly elections are making promises. The entire income of the State is given away, by way of salaries and concessions, to the Government officials so that they can get elected next time.

One such incident has happened in Tamil Nadu. Concessions have been announced; salaries have been increased. It is done for the organised sector of Government servants. A major part of the income goes to them, but the common people will not get anything at all.

Sir, I would like to state the background in this case. "Agrees a Government employee from Durg, T.N. Singh, 'Chhattisgarh State is a virtual non-issue in the region'. According to him, the region is predominantly inhabited by illiterate farmers and agriculture labourers, mostly tribals and Dalits, who are not concerned with the statehood issue."

This is the position. What has this Government done for the people who are living in pitiable conditions? More than 60 per cent tribals and SCs are living in that area. What has the Government done so far to retrieve them from such conditions?

Sir, it has also been reported:

"That tribals are subjected to ruthless exploitation by middlemen and traders. Tribals are forced to sell the forest produce at throwaway prices to the traders."

"The People's War Group has, however, gained a firm foothold in Bastar. The Naxalites constitute a major threat to law and order. Nearly 20 Naxalite dalams are operating in Bastar and the adjoining areas."

This is the position. It is not that the problem has been solved. For this, if a separate State is formed, a Governor has to be appointed. So far as my Party is concerned, creation of a post of Governor is unnecessary. If the State is constituted, there should not be a separate Governor. One Governor is sufficient for three or four States. As Mr. Thirunavukkarasu has stated, there is only one High Court in Tamil Nadu. I suggest that a Circuit Bench should be constituted for Pondicherry. Now, there is an agitation for the constitution of a separate State and conferring powers on that State in respect of several things. Hitherto we have been arguing that it is difficult for the people from one part of the State to go to the other part of the State and it is for the purpose of convenience that the States are being bifurcated. In that, case, an argument can also be advanced here that justice should be taken to the doorsteps of the litigants. We have been asking for the establishment of a Bench of the Supreme Court either at Madras or Bangalore. I would like to know whether the Government will come forward to set up a Bench of the Supreme Court in the southern part of the country. Now, there is opposition from the Supreme Court. The Supreme Court is; not willing to set up a Bench in the southern part of the country. I would like to know whether the Government will come forward to set up a Supreme -Court Bench in the southern part of the country.

This Chhattisgarh area is predominantly inhabited by tribals. Out of eleven MPs, four MPs belong to the Scheduled Tribes and two MPs belong to the Scheduled Castes. Out of, 90 Assembly seats, 34 Assembly seats belong to the Scheduled Tribes and 8 seats belong to the Scheduled Castes. So, mere creation of. a State will not solve the problem. A special

package like the one which was given to the North-Eastern Region should also be given to this area. Then only the problems of this area can be solved.

The Bhopal gas tragedy happened several years ago. Till now the guilty persons were not found out and the victims were not paid compensation. Such is the situation. I would like to know whether compensation is going to be paid to the victims of the tragedy and whether the guilty persons are going to be punished. Unless these issues are not solved, merely by creating a new State, the imbalance and uneven development cannot be corrected.

Our great Anna....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करिए।

SHRI R. MARGABANDU: I seek your indulgence for a minute, Sir.

Our great Anna was propagating a separate Dravidastan. But when there was a threat to the nation, when the Indo-China war broke out, he gave up that issue. He wanted only unity of the nation. India is a home for different cultures, religions and languages. If the States are divided on the basis of religion, language and other things, hundreds of States will come up. I would like to know wehther the Government wants that. Now, there are several demands from several parts of the country for separate States. I would like to know whether the Government is going to concede that. If the Government is going to concede that, this can be accepted.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया समाप्त करिए।

SHRI R. MARGABANDU: If that cannot be accepted, creation of Chhattisgarh State is only a political issue to have political mileage. I oppose this Bill totally and I feel that it will be detrimental to the progress of the people.

उपसभाध्यक्ष(श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री सतीश प्रधान । आप चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करुंगा कि चार मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर दूं। लोकिन जो मुझे कहना है उससे मैं कह सकता हूं कि चार मिनट में अपनी बात कहना मशिकल है। लेकिन मैं अपने प्वाइंट जल्दी रखने की पूरी कोशिश करुंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी औऱ प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतने सालों पुरानी जो लोगों की मांग थी उसको पूरा करने का निर्णय किया। आज छत्तीसगढ़ के निर्माण का निर्णय हम यहां कर रहे हैं., कल उत्तर प्रदेश और बिहार का भी निर्णय हम करेंगे। इन तीनों राज्य के लोगों ने वहां इसलिए आंदोलन छेड़ा और

बहुत से समर्पण भी किये। इतना त्याग करने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा था । वह न्याय देने की आप कोशिश कर रहे हैं और न्याय दे रहे है इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ के लिए वहां के शिव सेना प्रमुख धनंजय परिहार जिन्होंने वहां के पूरे क्षेत्र में आंदोलन चलाया, कम से कम तीन चार बार पद यात्रा निकाली जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए थे। मैं स्वयं भी एक पद यात्रा के समापन समारोह के लिए उपस्थित था । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में भी पिछले सत्र से पहले और इस सत्र से पहले की अवधि में छत्तीसगढ़ के काफी लोगों ने प्रदर्शन किये अपनी मांग रखने के लिए कोशिश की थी । अब आप उनको पूरा न्याय दे रहे हैं, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। अभी अभी यहां पर विदर्भ के लिए ऐसा निर्णय करने के लिए विजय दर्डा जी ने बात छेड़ी है। मैं कहना चाहूंगा उनकी यह मांग सिर्फ इसलिए है कि विदर्भ के विकास के बारे में उनके साथ न्याय नही हो रहा था। महाराष्ट्र के जितने भी मुख्य मंत्री हुए उनमें से तीन बार विदर्भ के क्षेत्र से संबंध रखने वाले मुख्य मंत्री थे। वह वहां के विकास के बारे में जो भी निर्णय लेना चाहते थे, वह निर्णय लेने में सक्षम थे। एक ही पक्ष के वे मुख्य मंत्री थे औऱ वह निर्णय लेने कि जितनी ताकत उनको चाहिये थी उतनी ताकत उनके हाथों में थी। यह सत्य परिस्थिति है। जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई तो शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे जी ने वचन दिया था कि साढ़े चार साल में पूरी ताकत लगा कर कोशिश की गई थी। मैं इस सदन का रिकार्ड अच्छा और सुव्यस्थित करने के लिए बताना चाहूंगा । महाराष्ट्र की बहुत पुरानी मांग है औऱ यदि इस विषय पर मैं बात न करुं तो कुछ कमी रह जाएगी । इसलिए मैं यह बात यहां छेड़ना चाहता हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का 1956 से विवाद चल रहा था कि कर्नाटक का कुछ भाग बेलगाम आदि महाराष्ट्र मे आना चाहिए और महाराष्ट्र का कुछ भाग कर्नाटक को मिलना चाहिए। इस तरह का दोनो तरफ से विवाद चल रहा था। लेकिन तब से ले कर आज तक इतने आंदोलन होने के बावजूद लोकशाही तंत्र के अनुसार वहां ग्राम स्तर से लेकर लोक सभा तक के जो चुनाव हुए उन सभी चुनावो में लोगों ने इस विषय पर अपना मत प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के पुराने सांसद हरिभाऊ पाटस्कर जी ने इस विषय पर कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार होना चाहिए ने अपना मत प्रदर्शित किया था। पाटस्कर जी के मार्गदर्शन के अनुसार तमिलनाडु का मद्रास का डिविजन करने के विषय में वह सभी प्रावधान लागू किये गये। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में सिर्फ यह निर्णय कभी भी नहीं लिया गया। वहां 1956-57 में आंदोलन शुरु हुआ और अभी तक महाराष्ट्र में 105 हुतात्माओं ने बलिदान दिये। 1969 में हमने दूसरा आंदोलन छेड़ा तो महाराष्ट्र ने उस वक्त में पांच हुतात्मा दिए। जब इस विषय पर निर्णय हुआ कि महाराष्ट्र में बेलगांव कारवार सीमा का भाग नहीं आएगा तो बेलगांव-कारवार से शुरु में पहले आंदोलन हुआ औऱ उस समय के आंदोलन में एक ही दिन में चार लोगों की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी । तभी से यह आंदोलन साथ साथ चलता आया है। लोकशाही तंत्र के अनुसार और माहत्मा गांधी के बताए हुए आदर्शो के अनुसार वहां के लोगों ने अपने ऊपर हुए अन्याय को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आंदोलन छेड़ा । नो टैक्स, यह नहीं भरेंगे प्रापर्टी टैक्स हम नहीं देंगे, यह आंदोलन भी छेड़ा था। यह आंदोलन छेड़ने के बावजूद उनकी जमीन जब्त करने तक बात हुई।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कोशिक) : कृपया समाप्त करिए। आपके सात मिनट हैं।

श्री सतीश प्रधान : थोड़ा मुझे समय दे दीजिए । यह 1956 से है। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तभी से लेकर अभी तक जितने भी आंदोलन छेड़े गए उनके ऊपर समय समय पर बहूत सारी एट्रोसिटीज हुई हैं और इन एट्रोसिटीज की भी बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है.....(**व्यवधान**)......

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Sir, I have an objection. We are on a Bill relating to Madhya Pradesh. And he is referring to the matter relating to a dispute between Maharashtra and Karnataka..*(Interruptions)* It is not fair. The Member should bear in mind that the people are living peacefully there. The matter has been settled.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह कोई आब्जेकशन नहीं है । आप बैठे.....(**व्यवधान**)......आप कृपया बैठें। आप कृपया आसन गृहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप आसन ग्रहण करें।

श्री सतीश प्रधान : मैं आभारी हूं कि आपने मागदर्शन करने की कोशिश की। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम एक नये राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो साथ साथ में जो दूसरे राज्य की निर्माण की बातें हैं वे भी देखेंगे। उस समय राज्यों की जो व्यवस्था की गयी थी उसमें कई अन्याय हुए और उसके ऊपर लोगों का जो क्षोभ है उसको प्रदर्शित करने का लोगों का जो अपना तरीका है, उसको सामने रखने के लिए यही एक रास्ता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप कृपया समाप्त करिए।

श्री सतीश प्रधान : इसीलिए मैं समाप्त करते हुए बता रहा हूं उपसभाध्यक्ष महोदय कि त्रिभाषा सूत्र पर अमल करने के लिए हमारे यहां का निर्णय है, सरकार का निर्णय है और यह तभी से हुआ है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र का अमल बेलगांव-कारवार के एरिया में, सीमावर्ती भाग में नहीं करने दिया जाता है। वहां पर अन्याय किया जाता है। यहां तक कि वहां 7-12 को जो प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड होता है वह भी बनाने नहीं दिया जाता है। वह लोगों को अभी तक वहां मिलता था.....(**व्यवधान**)......

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Why are you raking up this issue? *../Interruptions)...* He is relating it to a dispute between Karnataka and Maharashtra..*(Interruptions)*\\ is unfair on the part of the senior Member. */Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश प्रधान : तो वह नहीं रखने दिया जाता है। कोल्हापुर से बार्डर तक जाते समय मराठी में कोई बात करेगा तो उसके लिए कंडक्टर सबके साथ मराठी में बात करेगा लेकिन बार्डर से अंदर जाने के बाद वह मराठी में बात नहीं करता । बार्डर के एरिया सीमावर्ती भाग में ...(**व्यवधान**)...

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Why is he raising the issue? The issue has already been settled...*{Interruptions)* At the time of discussion of this Bill, why is he raking up that issue? *.(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करिए। प्रधानजी आप बैठिए.....(**व्यवधान**).....

श्री सतीश प्रधान: विकास का काम है, रास्ते बनाने हैं वहां के लोगों के खेत के लिए .....(**व्यवधान**)......है ये सब काम पूरे बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं मैं आगे जाकर बताना चाहता हूं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप कृपया समाप्त करिए प्रधानजी। आपसे आग्रह है।

श्री सतीश प्रधान : यहां के स्कूल जो हैं वे बंद हो रहे हैं। इतना बड़ा जो अन्याय हो रहा है इसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से प्रार्थाना करुंगा कि आप इस विषय में ध्यान दें। यह सब जो है इस पर जल्दी से कोई निर्णय करें तथा कर्णाटक के मुख्य मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री इन दोनों लोगों को साथ साथ बुलाइए, उनको एक जगह पर बैठाइए और इस विषय पर तुरंत निर्णय कीजिए, यही मेरी मांग है। यह कहते हुए मैं आपका समर्थन करता हूं औऱ इस विषय का भी समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Sir, the statement made by Shri Pradhan must be expunged..*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सभापतिजी और उपसभापति जी उसको देख लेंगे। आप कृपया अपने आसन पर जाइए। वहां से बोलिए। आप जो कह रहे हैं और जो रिपोर्टिंग हुई है, जो लिखा गया है, उसको सभापति महोदय, उपसभापति महोदया देख लेंगी। आप की जो मांग है उस को देख लेंगी औऱ उस में जो अनुचित होगा, वह निकाल दिया जाएगा ।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA : Sir, he is referring to the dispute between Karnataka and Maharashtra which is not proper. *...(Interruptions)...*This is not correct. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठते क्यों नहीं हैं.....(**व्यवधान**)...... आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आप से कह रहा हूं कि सभापति जी या उपसभापति जी कार्यवाही में जो लिखा गया है, उस को देख लेंगे और अगर उस में कोई गलत बात है तो उस को कर्यवाही से निकाल देंगे । माननयी कैलाश जोशी ।

श्री कैलाश जोशी (मध्य प्रदेश) **:** मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, आज सदन में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा प्रारंभ हुई है। उपसभाध्यक्ष जी, जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग 1955-56 में बना था, तब उस में आस पास के सात भाषा-भाषी राज्यों से जो भाग बचा था, उस सब को मिलाकर एक प्रदेश का गठन कर दिया गया था उस में कुछ पार्ट-ए का हिस्सा, पार्ट बी स्टेट्स औऱ पार्ट सी की एक स्टेट- इस प्रकार से चार पुराने प्रांतों के भागों के मिलाकर इस राज्य को बनाया गया था। यह एक प्रकार से अनचाहा प्रदेश बना था क्योंकि किसी ने इसे बनाने की मांग नहीं की थी। चारों घटकों में किसी ने भी इस प्रकार की मांग नहीं की थी कि मध्य प्रदेश इस प्रकार से बनाया जाए और न ही ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर यह एक प्रकार से वाएबल स्टेट बनता था, लेकिन बना दिया गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह भी सच है कि उस

समय भी इस का विरोध किया गया था, लेकिन उस विरोध की कोई सुनवाई नहीं हुई। न आयोग ने सुना, न उस समय की केन्द्र सरकार ने सुना। उस के बाद छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 1980 तक अनेक प्रकार के संगठन बने। मैं उन के सब के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि अन्य सदस्य उन के नामों का उल्लेख कर चुके हैं, परंतु उन की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्ष 1980 के बाद जो संगठन बने, जैसा कि माननीय सदस्य सुरेश पचौरी जी ने उल्लेख किया था, मैं उन के भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 1980 के बाद जितने भी संगठन छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बने, वे केवल चुनाव के समय इस मुद्दे का उपयोग करते थे। चुनाव प्रचार किया जाता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनना चहिए, लेकिन उसे बनाने के लिए न राज्य की सरकार द्वारा और न केन्द्र की सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रयास किया जाता था। महोदय, यह प्रयास तब प्रारंभ हुआ जब 1993 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस का उल्लेख किया और 1994 में मध्य प्रदेश की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने एक अशासकीय संकल्प रखा जोकि सर्वानुमति से पारित हुआ...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी : उस समय प्रदेश में किस की सरकार थी?

श्री कैलाश जोशी : आप को भी मालूम है, सरकार कांग्रेस की थी। उपसभाध्यक्ष जी, अब इन्होंने प्रश्न किया है तो मैं उन से जानना चाहूंगा कि 1994 से 1997 तक भोपाल में किस की सरकार थी, दिल्ली में किस की सरकार थी, क्यों नहीं उस समय बन पाया छत्तीसगढ़? क्यों नहीं आप की दोनों सरकारों ने मिलकर बनाया? उपसाभध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में विधान सभा में उठाए गए एक प्रश्न का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने 19 फरवरी, 1997 को मध्य प्रदेश विधान सभा में किया था कि 1994 में जो संकल्प विधान सभा में सर्वानुमति से पारित हुआ था, उस के बाद उस पर क्या कार्यवाही की गयी, क्या उस की प्रगाति हुई? और मध्य प्रदेश सरकार ने विधान सभा में जो उस का उत्तर दिया, माननीय सदस्य बैरागी जी उसे ध्यान से सुनिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : नहीं आप उन्हें मत कहिए। आप मुझे सम्बोधित कीजिए।

श्री कैलाश जोशी : क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है, इसलिए मुझे उल्लेख करना पड़ेंगा वरना मैं नहीं करता।

श्री बालकवि बैरागी : उस समय विधान सभा मे मैं नहीं था, ये थे, इसलिए अब आप अपने आप से बात कर लीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कैलाश जोशी का जितना सम्मान करता हूं, उन को इस का अंदाज नहीं है, लेकिन ये चंदन घिस रहे हैं तो मैं भी पानी डाल रहा हूं ।

श्री कैलाश जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, जो उत्तर विधान सभा में दिया गया, वह यह है कि,

"पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने के संबंध में विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 1994 को पारित संकल्प मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 17.4.1994 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।"

'भारत सरकार के पत्र दिनांक 1.11.1994 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जब भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, तब इस विषय पर राज्य सरकार से सम्पर्क किया जाएगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कोई पहल किए जाने का प्रश्न नहीं होता।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की विधान सभा का उत्तर है। उसके बाद ...(**व्यवधान**)...

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : इसमें गलत क्या है?

श्री कैलाश जोशी : गलत यह है कि उन तीन वर्षो में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1996 में, 1998 में और 1999 में भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय चुनाव घोषणा-पत्र में औऱ उसके बाद में रा.ज.द. के घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया था जिन प्रान्तों के नाम थे, उनमें छत्तीसगढ़ का समावेश था और इस प्रकार से उस पर उसी समय ठोस कार्यवाई प्रारम्भ हो गई। घोषणा पत्र में इतना ही नहीं, महोदय, यह एक ऐसा अवसर है, सामान्यतः इस प्रकार होता नहीं है कि कोई व्यक्ति जो पार्टी के अध्यक्ष के नाते, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के पूर्व के समय में किसी नये प्रदेश के बारे में जाकर कोई घोषणा करे औऱ वह घोषणा सरकार बनते ही यथावत् पूरी हो जाए, ऐसे बहुत कम अवसर हमारे देश के इतिहास में आए होंगे। यह उल्लेख मैं इसलिए करना चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं, वे उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और जून, 1997 में इन्होंने स्वर्ण जयंती रथ-यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में वे रायपुर गए थे और वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही थी, वह उल्लेखनीय है, उसको मैं क्वोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि :-

> "As I am in Raipur, it is only natural that i should reiterate my party's demand for the early formation of a separate Chhattisgarh State. Madhya Pradesh, as it is presently constituted, is too large and diverse to be administered efficiently as a single unit. This is the main reason why, inspite of being endowed with viable minerals, land, water, forest and human resources, Chhattisgarh has remained a backward region."

इन शब्दों का उल्लेख माननीय आडवाणी जी ने रायपुर में किया था। आज जब यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो बहुप्रतीक्षित आकांक्षा छत्तीसगढ़ के लोगों की इसके पारित होने के बाद पूरी होने वाली है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे ही सरकार बनी, 1999 में, उसके बाद इस पर काम प्रारम्भ हो गया। वैसे काम तो 1998 से ही प्रारम्भ हो गया था, लेकिन जिन कारणों से इसके पूर्व यह विधेयक सदन में नहीं लाया जा सका, मैं उन कारणों का उल्लेख नहीं करना चाहता, केवल इतना ही सकेंत देना चाहता हूं कि बीच में लोक सभा भंग हो गई, फिर से चुनाव आ गए औऱ इन कारणों को सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इन कारणों की वजह से विलम्ब हुआ, किन्तु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब छत्तीसगढ़ के निर्माण में कोई विवाद नहीं

था तो क्या कारण हो कि इस बीच मे बार-बार स्वर निकले कि जान-बूझकर केन्द्र की सरकार छत्तीसगढ़ नहीं बनाना चाहती, केन्द्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। यह बात यदि कोई सामान्य सदस्य बोलता तो भी बात थी, लेकिन यह बात प्रदेश के मुख्य मंत्री बोले हैं, प्रदेश से आकर हमारे जो वरिष्ठ लोग संसद में बैठे हुए हैं, वे इन शब्दों को दोहराते रहे हैं, कठिनाइयों को जानने के बावजूद भी बार-बार यह भ्रम पैद करने की कोशिश की गई। अब ये सारी शंकांए एक प्रकार से निरर्थक सिद्व हो जाएंगी, कोई, किसी प्रकार की शंका बची नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक छत्तीसगढ़ की स्थिति का सवाल है, उसका बहुत कुछ उल्लेख मेरे पूर्व सदस्यों ने कर दिया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, किन्तु मैं एक बात जरुर कहना चाहता हूं कि और जैसा कि माननीय अर्जुन सिंह जी ने भी कहा, यह बिल्कुल ठीक है कि छत्तीसगढ़ में सब प्रकार के संसाधन होने के बावजूद भी यह अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र है । सब प्रकार की अपार सम्पदा होने के बावजूद भी यहां के लोग आज तक गरीब रहे हैं और इस बारे में विचार करना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वहा की स्थिति यह है कि वहां के लोग मजदूरी करने के लिए सारे देश में आज भी जाते हैं।

महोदय, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुए आज 44 वर्ष पूरे हो गए लेकिन वहां के लोग आज तक बाहर नौकरी और मजदूरी करने के लिए जाया करते हैं । अब यह स्थिति क्यों बनी रही? अभी तक इस दिशा में क्या प्रयास नहीं हो सकते थे? एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस समय हमको श्रेय की बात नहीं करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ अच्छा कैसे बने, इसकी बात करनी चाहिए लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के झुठलाया नहीं जा सकता है। चाहे श्रेय किसी को मिले लेकिन जो सरकार यह राज्य बना रही है, जिसने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया और जिसने अंतिम परिणति तक इसे पहुंचाया, उसको तो श्रेय मिलेगा ही । उसको सारे देश की जनता श्रेय देगी, केवल मध्य प्रदेश के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग ही श्रेय नहीं देंगे, पूरा देश उसके श्रेय देगा ।

महोदय, यहां पर एक बात और कही गई है। यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार 10 साल से इसके लिए प्रयत्न कर रही थी । कौन से प्रयत्न किए गए? विधानसभा में यह संकल्प पारित हो जाने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रायपुर में जाकर यह कहा है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । राज्य की सरकार छत्तीसगढ़ विकास परिषद बना रही है, उसके माध्यम से ही छत्तीसगढ़ का विकास हो जाएगा । अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है ।

श्री सुरेश पचौरी : उन्हीं मुख्यमंत्री के समय में विधानसभा में इस बाबत 1994 में प्रस्ताव पारित हुआ है.....(**व्यवधान**)...... मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद नहीं है, उनके नाम का उल्लेख करके तोड़-मरोड़कर बात बोली जाए, यह सर्वथा गलत है।

श्री कैलाश जोशी : यह बात सत्य है कि रायपुर में जाकर वह बोले हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : जी नहीं, यह गलत है। वह छत्तीसगढ़ राज्य के पक्षधर रहे हैं और जब श्री दिग्विज्य सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया था और जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही यह प्रस्ताव 18.3.1994 को पारित हुआ था ।

5.00 P.M.

श्री कैलाश जोशी : महोदय, 1994 से 1997 तक दोनों जगह इनकी सरकारें थीं राज्य में भी और केन्द्र में भी। उन 3 वर्षों में क्या प्रयास इस दिशा में हुए?

श्री बालकवि बैरागी : जोशी जी तो स्यवं मुख्यमंत्री थे, तब वे क्या कर रहे थे?

श्री कैलाश जोशी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया और कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि.....(**व्यवधान**)......

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : उनका जवाब आप क्यों देते हैं? आप अपनी बात कहिए।

श्री कैलाश जोशी : महोदय, सब प्रकार की अपार संपदा होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आज तक पिछड़ा हुआ क्यों है? छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अब प्रयत्न होना चाहिए। इस बीच में उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए? वास्तविकता यह है कि वहां पर बिलासपुर में रेलवे के जोन की मांग बहुत पहले से थी। उसके लिए बड़ा भारी आंदोलन हुआ था। उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और आंदोलन के कारण 80 करोड़ रुपये की रेलवे संपति की हानि हुई। उसमें आग लगा दी गई थी, उसके बाद भी केन्द्र सरकार औऱ राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बिलासपुर रेलवे जोन बना दें किन्तु इस सरकार को आए हुए अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं और इसने बिलास पुर में रेलवे जोन की घोषणा कर दी है।

श्री बालकवि बैरागी : वहां केवल शिलान्यास का पत्थर लगा है औऱ आपको पुकार रहा है। जाइए, आप जाकर देखिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : जोशी जी, कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। अब आपका समय समाप्त हो गया है। आपकी बातें आ गई है, अब आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि कैलाश भाई स्वंय जाकर देखें कि वहां केवल पत्थर लगा है और रात-दिन कैलाश जोशी, कैलाश जोशी पुकार रहा है।

श्री कैलाश जोशी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई पत्थर वहां नहीं लगा है। महोदय, इस सरकार के समय में ही 4 राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा हुई है, इस डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 4 राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा हुई है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश जोशी : महोदय, यह तो वास्तविकता है जो मैं बता रहा हूं। 20 साल से छत्तीसगढ़ की जनता दिल्ली-राजहरा की रेलवे लाईन के लिए मांग कर रही थी, इस सरकार के बनने के बाद ही उस संबंध में घोषणाएं भी हुई हैं.....(**व्यवधान**)......

श्री बालकवि बैरागी : बजट का पैसा देख लो.....(**व्यवधान**)......

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : बैरागी जी, बैठ जाइए।

श्री बालकवि बैरागी : अगर माननीय सदस्य आऊट ऑफ कंटेक्स्ट बोलेंगे तो मैं बराबर खड़ा रहूंगा। बजट का पैसा देख लो.....(**व्यवधान**)...... आप अगर छत्तीसगढ़ के होते हैं तो मैं भी होता हूं.....(**व्यवधान**)......

श्री कैलाश जोशी : ये क्यों नाराज हो रहे हैं? न मैं छत्तीसगढ़ का हूं ना ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये बात उनको करने दीजिए। हम क्यों विवाद में पड़े?

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब यह आशा की जानी चाहिए कि जिस प्रकार इस सरकार ने 2 वर्षों में मध्य प्रदेश का जो भूभाग है छत्तीसगढ़, उसके विकास के लिए जितने कदम उठए हैं, छत्तीसगढ़ का अलग राज्य के रुप में गठन होने के बाद और भी अधिक तेजी से इस राज्य के विकास की दिशा में केन्द्र सरकार सारे कदम उठाएगी। उपसभाध्यक्ष जी, 40 वर्षों से हम साथ रहे थे। मैं 36 साल से मध्य प्रदेश की विधान सभा का सदस्य रहा था और इसलिए बिछोह का कष्ट तो हम सबको हो रहा है। लेकिन इस कष्ट के बावजूद भी एक नए प्रदेश का गठन हो रहा है। वह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा इसकी हमें प्रसन्नता भी है और इसलिए हम चाहेंगे की छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद वहां भी तीव्र गति से विकास हो, वहां की जनता खुशहाल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधान मंत्री जी को, राजग की सरकार को और छत्तीसगढ़ की जनता को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अगर सभी माननीय सदस्य सहमत हो तो वाद-विवाद को समाप्त करके माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया जाए कि वह अपनी बात रखें।

पचौरी जी का सुझाव है कि जो छत्तीसगढ़ के सम्मानित सदस्य हैं वे दो-दो मिनट अपनी बात कह दें।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे अंत में गृह मंत्री जी के पहले मैं दस पंक्तियां इस बिछोह पर पढ़ूंगा।.....(**व्यवधान**)......

प्रो. रामगोपाल यादव : बैरागी का बिछोह से क्या मतलब होता है?

श्री बालकवि बैरागी : रामगोपाल जी ने कहा है कि बैरागी का बिछोह से क्या मतलब है। तो मैं रामगोपाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं बाल-बच्चों वाला बैरागी हूं।

श्री झुमुक लाल भेंडिया (मध्य प्रदेश) **:** महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में जिन लोगों ने सदन के अंदर सदन के बाहर सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं गृह मंत्री जी के ध्यान में विशेष रूप से यह बात लाना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है वह अनुसूचित क्षेत्र है। वह अनुसूचित क्षेत्र जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं- जंगल और पहाड़ में भी। उस आदिवासी क्षेत्र में भी प्रिमिटिव ट्राईब्स के बीच आदिवासी लोग हैं जिनके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एक समृद्व प्रदेश बन सकता है और बनेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेच्युरल सम्पदा - भगवान की देन वहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका ईमानदारी के साथ दोहन नहीं हुआ या हुआ भी तो शोषण भी हुआ है। हम यह चाहेंगे कि अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपका सहयोग मिले, सरकार का सहयोग मिले। हम उस छत्तीसगढ़ को शोषण-मुक्त छत्तीसगढ़ बना सकें, समृद्वशाली छत्तीसगढ़ हम बना सकें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीप सिंह जूदेव (मध्य प्रदेश)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के बनवासी क्षेत्र-आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। कहने को तो बहुत कुछ था-पर हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने इस पर काफी प्रकाश डाला है । पर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह हम लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। पूरे क्षेत्र में, गांवों में, शहरों में, जंगलों में एक उल्लास का वातावरण है। मैं अभी अपने क्षेत्र गया था, तो मैंने अपने आदिवासी भाई से पूछा कि तुमको क्यों खुशी है, तो उसने कहा कि अपना मध्य प्रदेश जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा प्रदेश था और उसके हम निवासी थे और अब छत्तीसगढ़ बन रहा है तो ठीक है और छत्तीसगढ़ कम से कम भारत के एक दर्जन राज्यों से बड़ा है, लेकिन हमारा आकार तो छोटा हो रहा है। तो उसने अपनी जो व्यथा कही उससे मेरा दिल हिल गया। उसने कहा कि 50 साल में मैंने आज तक अपने राज्य की राजधानी का दौरा नहीं किया। मैं भोपाल नहीं गया हूं। उसने यह भी कहा कि मेरा लड़का जो कि एम.ए. पास है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दर्जन बार नहीं बल्कि बाईस-बाईस बार इंटरव्यू दिया है, जबलपुर में दिया है, ग्वालियर में दिया है, भोपाल में दिया है, और इन 22 बार में से 18 बार देरी से पहुंचने के कारण उसका पढ़ा-लिखा लड़का नौकरी से वंचित रह गया । न जाने ऐसे कितने हजारों लोग होंगे और है भी बात सही । आज जिस स्थान से मैं आता हूं वहां से बिहार की राजधानी पटना पास है, भोपाल दूर है । बंगाल की राजधानी कलकत्ता पास है हमारा भोपाल दूर है । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पास है लेकिन भोपाल दूर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पास है लेकिन भोपाल दूर है, बंगलादेश की राजधानी ढाका पास है लेकिन भोपाल दूर है, नेपाल की राजधनी काठमांडु पास है लेकिन भोपाल की राजधानी दूर है। अब हमारी राजधानी हमारे पास आएगी। हमारे वनवासी लोग अपनी राजधानी को देखेंगे। दिल्ली आने से एक ऊर्जा होती है, भोपाल आने से एक ऊर्जा होती है। हमारे मित्रों ने कहा कि यह हुआ है, वह हुआ है इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार लूट हुई, आर्थिक लूट, धार्मिक लूट, सांस्कृतिक लूट हुई है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेसी मित्रों ने 48 साल राज किया है। अगर मैं लूट में जाना चाहूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन किसी ने लूट पर कहा है,

'तुमने मुझको ऐसे लूटा इस भरे बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन ...।'

इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज झारखंड प्रांत बना है तो इसका श्रेय सब ले रहे हैं। हमने कहा कि तुमने नहीं किया । सब को पता है कि किसने किया है। हमारे नेता अटल जी जब वहां गए थे तो हमने उनसे कहा था कि सर, छत्तीसगढ़ की घोषणा कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों को अपने क्षेत्र में हेलमेट पहनकर जाना पड़ेगा, सिर नहीं बचेगा। आज माननीय आडवाणी जी ने इस बिल को पेश करके हम लोगों को बचा लिया है। मैं आपको एक संदर्भ सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो द्रौपदी भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहा कि प्रभु आपसे एक शिकायत है । वे बोले अब छोड़ो सब कुछ हो गया । जीतने वाले जीत गए, हारने वाल हार गए, सत्य की विजय हुई। अब तुम किसी विवाद में मत पड़ो । द्रौपदी बोली नहीं-नहीं यह तो अपनी बात है और यह शिकायत सदैव बनी रहेगी । वह बोले, बोलिए। वह बोलीं, भगवन जब मेरी, भरे दरबार में, इज्जत लूटी जा रही थी तो उस समय तुम इतनी देरी से क्यों आए। भगवान श्रीकृष्ण बोले कि ऐसी बात नहीं है । जब तुमको दुस्शासन बाल पकड़कर भरे दरबार में लाया तो तुमने सबसे पहले अपने पतियों को याद किया। बात भी सही है कि जिसके धनुर्धारी अर्जुन, युधिष्ठर, भीम जैसे पति हो तो वह दूसरे की तरफ मदद के लिए क्यों उम्मीद लगाये । जब उन्होंने

कहा कि हम तो अपनी पत्नी को जुए में हार चुके है तो तुमने भीष्म पितामह की ओर देखा कि आपके दरबार में आपकी बहू की इज्जत लूटी जा रही है, उन्होंने भी पुत्र को कुछ नहीं कहा । फिर तुमने द्रोणाचार्य की तरफ देखा कि आप पांडवों के भी गुरू हैं और कौरवों के भी गुरु हैं, आप तो बोलिए। फिर तुमने कृपाचार्य की तरफ देखा, भीष्म पितामाह की तरफ भी देखा लेकिन उन्होंने भी नमक का हवाला देकर मौन धारण कर लिया और उसके बाद जब तुम हार गई तो तुमने मुझे याद किया और तुमने जैसे ही मुझे याद किया, मैं तुम्हारी मदद के लिए साड़ी बढ़ाने के लिए आ गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 25 साल से प्रधान मंत्रियों से, मुख्य मंत्रियों से, राजनेताओं से, चाहे वह किसी भी दल के रहे हों, उनसे अनुरोध किया कि साहब हमको छत्तीसगढ़ राज्य दे दो । उन्होंने कहा देंगे, करेंगे, देखेंगे और अगर-मगर करते रहे ।...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया समाप्त करिए ।

श्री दिलीप सिंह जूदेव : हमारे नेता अटल जी से उन्होंने छत्तीसगढ़ मांगा और उन्होंने भगवान कृष्ण की तरह उनको छत्तीसगढ़ राज्य दे दिया । हम लोगों की तरफ देहात में एक कहावत है, 'मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और जो कहे न किसी से।' पर यह सियासत का खेल है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया समाप्त करें ।

श्री दिलीप सिंह जूदेव : मैं अंत में माननीय अटल जी को, आडवाणी जी को और जितने भी लोग है जिन्होंने इसका समर्थन किया है, उनको छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (मध्य प्रदेश) **:** सर, मैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का हार्दिक रुप से स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ अंचल से आया हूं, छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी सांसद हूं और मेरी मातृभाषा छतीसगढ़ी है, इसलिए मैं दो लफ़्ज़ छत्तीसगढ़ में बोलना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपका स्वागत है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह : सर, मैं यहां पर सूक्ष्म रुप से बोलूंगा । सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के उन बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने 1924-25 में यह मांग की थी, अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ साथ आज तक जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन किया है उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त लोक सभा में जो छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन का विधेयक पेश हुआ, उन सभी लोक सभा के माननीय सांसदों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारी राज्य सभा में भी यहां के माननीय सांसद बिना विध्न इसे पास कर देंगे। इसके अतिरिक्ति मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं। जो हमारे विरोधी दल के साथी विक्रम वर्मा जी ने कही कि अलॉटमैंट ऑफ एम.पीज. ऑफ राज्य सभा, उसका मैं समर्थन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह 2+2+1 करके उसको पास कर दें ।

[**उपसभापति महोदया पीठासीन हुई**]

दूसरी बात यह है कि हमारे कांग्रेस दल के सदस्य श्री सुरेश पचौरी जी ने कहा है कि जो लोग शासकीय नौकरी में हैं, यदि वे लोग छत्तीसगढ़ में रहना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में रहें और जो लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी कोई दबाव न डाला जाए। ऐसी मेरी भी

इच्छा है। तीसरा गृह मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ बना लेकिन मैं सभी लोगों को विदित कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ बना जरूर है लेकिन इस छत्तीसगढ़ में मात्र 24 गढ़ हैं, 12 गढ़ अभी भी मिसिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर जो मिसिंग 12 गढ़ हैं, उनको भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलाया जाए, यह हमारी इच्छा है। जय छत्तीसगढ़।

श्री मोहम्मद सलीम (पशिचिमी बंगाल) **:** मैंडम, मैं सुरेन्द्र कुमार जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना भाषण पीठासीन उपसभाध्यक्ष की परमिशन से अपनी लोकल जुबान मे दिया, छत्तीसगढ़ भाषा में वह बोले लेकिन हमारे यहां संविधान में जो स्वीकृत भाषाएं हैं, उसके अनुसार मिनट्स तैयार होते हैं । मैं समझता हूं कि मिनट्स तो कोशिश करके दे दिये जाएंगे लेकिन मैं मांग करता हूं कि जब आप छत्तीसगढ़ राज्य दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा को भी संविधान में इनक्लुड कर लेना चाहिए।.....(**व्यवधान**)......

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश)**:** यह भाषा तो हिन्दी है, इसमें कई बोलियां है।.....(**व्यवधान**)......

श्री बालकवि बैरागी : यह बड़ी मीठी भाषा है।.....(**व्यवधान**)......

उपसभापति : अब किस प्रकिया में सब बोल रहे हैं ?.....(**व्यवधान**)......

श्री बालकवि बैरागी : मैडम, मेरा सलीम भाई से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ी एक मीठी बोली है, वह भाषा नहीं है। वहां पर हिन्दी भाषा है दूसरी ओर छत्तीसगढ़ी का विकास होता रहे, यह शुभकामना हम करते हैं।

उपसभापति : सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जुबान बोली जाए, प्रेम की भाषा बोलें, यह ठीक है। दोस्ती की भाषा बोलें और अभी आप लोग होम मिनिस्टर साहब को सुन लीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : मैडम, मैं दस पंक्तियां बोलना चाहता हूं.....(**व्यवधान**)......

उपसभापति : प्रेम की भाषा में वह पंक्तियां बोल रहे हैं.....(**व्यवधान**)......

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपसभापति जी, मैं तो कभी नफरत की भाषा बोला ही नहीं, जब नफरत की भाषा बोली जाती है तो मैं खड़ा हो जाता हूं। मैं बहुत गंभीरता से गृह मंत्री जी से, आपसे, सदन से, जो हमारे मित्र सामने बैठे हैं, उनसे और जो इधर बैठे है, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो मध्य प्रदेश मे रह जाएंगे, यह लोग छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे । थोड़ा बिछोह का क्षण है, कष्ट नहीं है लेकिन एक मनःस्थिति है जिसमें यह बात आपसे कहना चाहता हूं । अगर मैं इस पर पूरा लिखता तो बहुत घंटे लगते लेकिन मैने दस ही पंक्तियां लिखी हैं और सदन की ओर से पढ़ रहा हूं। आप लोग कृपया गंभीरता से सुन लें **:**

यह बिछोह है विंध्याचल से प्रिय बेलाडीला का ।
यह बिछोह है इन्द्रावती ओ क्षिप्राशुचि सलिला का ।।
बिछुड़ रही है आज मालवी छत्तीसगढ़ी बहिन से ।
देवभोग पन्ना के हीरे साथी थे इतने दिन से ।।

आज धान से बिछुड़ रही है गेहूं की प्रिय बाली।
छत्तीसगढ़ की अरुणाई से मालव की हरियाली ।।
साढ़े चार दशक के भाई बिदा ले रहे सादर।
सदियों सदियों तक देंगे हम इक दूजे को आदर।।
सारा सदन दुआएं करता दीर्घायु यह लाल रहे।
सुख समृद्व रहे यह भाई, छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे।।

उपसभापतिः आपकी इस भावना के साथ होम मिनिस्टर साहब अब जवाब देंगे।

श्री अब्दुल गैयूर कुरैशी (मध्य प्रदेश) : मैडम, दो तीन लीगल प्वाइंट्स थे, उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। वैसे मैं कभी ज्यादा बोलता भी नहीं हूं।

उपसभापति : मुझसे यह कहा गया था कि नाम विदड्रॉ कर लिए है।

श्री अब्दुल गैयूर कुरैशी : नहीं, मैंने विदड्रॉ नही किया। No, I did not withdraw. I want to draw the attention of the hon. Home Minister to only two clauses, i.e. clause 70 and clause 74.

उपसभापति : बोलिए।

श्री अब्दुल गैयूर कुरैशी : मैडम, यह जो बिल है, इसमें एक तो क्लाज 70 की तरफ मैं गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो स्टेट सर्विसेज के बारे मे है। ऑल इंडिया सर्विसेज में तो अधिकार है सेंटर का, जिस तरह से चाहेंगे, प्लेसमेंट सेंट्रल सर्विसेज का कर देंगे लेकिन स्टेट सर्विसेज जो है, उसमें माननीय पचौरी जी ने कहा था चॉइस के बारे में।....(**व्यवधान**)..... और दूसरा मैं क्लाज 74 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह प्रावधान है कि जो भी कारपोरेशन्स और इंस्टीटयूशन्स हैं जो चल रही हैं, वे चलती रहेंगी लेकिन उसके बाद जो सब-क्लाज 2 में प्रावधान डिजॉल्यूशन का है- "to constitute a separate commission, Authority, Tribunal, University, Board or any other body, as the case may be, for the State of Chhattisgarh." यह प्रोविजन दिया है। इसमें सब क्लॉज टू है : "No suit or other legal proceeding shall be instituted, in case such body is abolished under clause (ii) of sub-section (1), by any employee of such body against the termination of his appointment or for the enforcement of any service conditions or for securing absorption in alternative public employment against the Central Government or any of the successor States." So, this right has been taken away from the persons who were c...eady serving under the Corporation, University or Board. If this right is taken away, then, would it not offend Article 311 of the Constitution? This point has to be examined, and I will urge the hon. Home Minister to examine this point and make a suitable substitution or amendment, whatever he may deem fit. But this actually takes away the right of the person who is serving permanently on the Board or the Corporation. This is at page 20 of the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is Clause 74, sub-clause 2.

SHRI ABDUL GAIYUR QURESHI: Yes, jurisdiction of the Commissions, Authorities and Tribunals.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 74(1). It is explained in subclause 2 of Clause 74.

SHRI ABDUL GAIYUR QURESHI: I want to draw the attention of the hon. Home Minister to one very important decision which was taken when hon. Shri Arjun Singh was the Chief Minister. A Commission was constituted under Justice J.S. Verma, who was then the Chief Justice of Madhya Pradesh, wherein it was decided to identify the customs of the tribals and to codify them. When these customs are recognised, these customs may be made a part of the Hindi Law, so that it may not amount to an offence. Unfortunately, what happened was that some of the customs of the tribals constituted an offence under the Penal Code, and those customs are not recognised by the courts of law. Therefore, those customs should be given recognition after identifying them.

That job was to be done by the Department of Law in the State of Madhya Pradesh. I think, the process of codification is going on. I think they might have been codified. Therefore, the Central Government should look into those codified laws; and the customary laws should be given recognition; and a suitable amendment may be made in the law. That is what I wanted to submit.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I think, customary laws are accepted in our country.

SHRI ABDUL GAIYUR QURESHI: Customary laws are accepted but unfortunately.. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: 14% people in this country are for the customary laws *...(Interruptions)...*

SHRI ABDUL GAIYUR QURESHI: They are actually accepted in the personal laws; for example, it is permitted under the Hindu Law. But it is .not permitted under the Penal Code. Under the Penal Code it becomes an offence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय उपसभापति जी, मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है जिनसे मैं सदन का धन्यवाद करुं और विशेषकर प्रमुख विपक्षी दल का। जब इसपर बहस चल रही थी कि किसको श्रेय दिया जाए तो हमारी तरफ के कुछ लोगों ने पुराना इतिहास निकालकर सुनाया, सुरेश पचौरी जी ने सुनाया। मैं तो सोचने लगा कि अगर प्रमुख विरोधी दल ने दोनों सदनों में जिस प्रकार का रवैया अपनाया है और इस विधेयक का निर्बाधरुप से निस्संकोच और पूर्णरुप से जैसा समर्थन किया है, वह अगर न करते तो यह बिल पारित नहीं हो सकता था। इसलिए मैं समझता हूं इसका अगर किसी को श्रेय देना है या तो वहां की जनता को देना होगा या पूरी संसद को देना होगा। मुझे इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि किसको श्रेय या क्रेडिट दिया जाए। मुझे तो स्मरण है जब वहां पर छत्तीसगढ़ की बहस आरंभ हुई तो श्यामाचरण शुक्ल जी ने शुरु की औऱ यहां शुरु हुई तो स्वाभाविक रुप से श्री अर्जुन सिंह ने शुरू की । उनका उस क्षेत्र के साथ पूरा संबंध रहा है और वर्षो से रहा है इसीलिए वहां की भावनाओं को पहचान सकते है। यहां रिजर्वेशन की जो आवाज सुनाई दी मैं उसका उल्लेख करुंगा लेकिन यह उल्लेखनीय है कि सरकारी पक्ष के जितने लोग हैं, उन्होंने तो समर्थन किया ही लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी मध्य प्रदेश का आदमी होगा जिसके मन में कोई रिजर्वेशन होगा। मध्य प्रदेश के सब लोग, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उन सबको यह लगेगा कि यह अवसर ऐसा है जिसपर कोई भी रिजर्वेशन प्रकट नहीं करनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि यह प्रदेश कैसे और समृद्व हो । यह बात अलग है कि रिजर्वेशन कोई नही है। सी.पी.एम. के खगेन दास ने रिजर्वेशन प्रकट किया और शायद हो सकता है इस बात को वे कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे कि भाई, राज्य का निर्माण होने से कोई विकास थोड़े ही हो जाएगा। यह किसी का दावा नहीं है, कोई यह दावा नहीं करेगा, जो भी यह विधेयक लाएगा, भाई यह कोई डेवलपमेंट पेनिसिया है कि अगर कोई राज्य बन गया तो स्वाभाविक रुप से उसका विकास हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप नया राज्य बना लें, मात्र एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे तो कुछ नहीं होगा, जनता का कोई भला नहीं होगा लेकिन अनुभव बताता है कि राज्य बनाते समय उसकी मैनेजिबिलिटी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, एक बड़ा फैक्टर है औऱ इम्पोर्टैंट फैक्टर है। किसी ने जानबूझकर उपेक्षा नहीं की होगी। हम जो तीन राज्य बना रहे हैं, जिस समय बहस चलती है तो उस समय यह आरोप लगाया जाता है कि हमारी चिंता नहीं की जाती है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जानबूझ कर किसी ने नहीं किया होगा, तो सहज रुप से ऐसा हो जाता है, जैसे अभी-अभी जूदेव जी ने अनुभव सुनाए कि कैसे 18 बार गए और लेट पहुंचने के कारण उनको नौकरी नहीं मिली । वास्तव में डिस्टेंस बड़ा फैक्टर बन जाता है इसीलिए इन चीजों को सिम्पलिस्टिक एनैलेसिस करके प्रस्तुत करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होगें। यह सोचना कि छोटा राज्य होगा तो विकास हो जाएगा, बड़ा राज्य होगा तो विकास नहीं होगा। रामगोपाल जी ने कहा कि देश के लिए, देश की एकता के लिए और देश की मजबूती के लिए बड़े राज्य जरूरी हैं। मैं समझता हूं कि इन तीनों राज्यों में यदि कोई राज्य छोटा है तो वह उत्तराचंल है। छत्तीसगढ़ को छोटा कहना या झारखण्ड को छोटा कहना ठीक नही है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनसे ये दोनों राज्य, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ बड़े है। पौने दो करोड़ की जनसंख्या कम नहीं है। उत्तरांचल छोटा है रिलेवेंटल टू हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से लेकिन उसके छोटा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश अभी भी बड़ा है, उसे कोई छोटा नहीं कह सकता। इसलिए जिस तर्क के साथ रामगोपाल जी ने कहा कि बड़े राज्य भी रहने चाहिए तो वे राज्य अभी भी हैं।

प्रो. रामगोपाल यादव: मैंने यह उम्मीद जताई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसकी हमने एक कसौटी बना रखी है यदि वह होगी तो देखेंगे। यदि मलायम सिंह जी, मायावती जी, कल्याण सिंह जी अपने शासन में यह प्रस्ताव पारित करके नहीं भेजते तो यह विधेयक नहीं बनता।

प्रो. रामगोपाल यादव : उस प्रस्ताव में भी आपने संशोधन कर दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार केंद्र को है। संविधान के अनुसार जो मर्यादा हमने अपनाई है वह कोई संवैधानिक मर्यादा नही है। यह जरूरी नहीं है कि कहीं से सिफारिश हो। अनेक राज्य बने हैं जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी लेकिन फिर भी राज्य बनाए गए, संसद ने बनाए हैं क्योंकि राज्य बनाना संसद का अधिकार है। उसमें संवैधानिक आवश्यकता केवल इतनी है कि वह विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति जी वहां की विधानसभा से सलाह लेंगे, पूछेंगे कि आपकी राय क्या है? यदि वे कहें कि 'हम सहमत नहीं है तब भी संसद बना सकती है, संसद पर कोई मर्यादा नहीं है। संसद को पूरा अधिकार है कि वह राज्य बनाए। हमने अपने ऊपर यह मर्यादा लगाई है कि जिस स्थान से विधानसभा की सिफारिश नहीं आएगी उसे हम छुएंगे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं इसके विस्तार में नहीं जानना चाहता क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशन्स विधेयक के बारे में नहीं थे। इस विधेयक को देखकर किसी को बेलगांव, किसी को विदर्भ याद आया तो किसी को कुछ औऱ याद आया जिस पर लोग नाराज भी हो गए, कहाकि छत्तीसगढ़ में बेलगांव कहां से ले आए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब नये राज्यों के गठन के बारे में सोचा तो एक डेफिनिट क्राईटेरिया बनाया, नम्बर एक : उस क्षेत्र की जन इच्छा होनी चाहिए, दूसरे उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव वॉयबेलिटी बढ़नी चाहिए, मैनेजिबिलिटी बढ़नी चाहिए और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि उस क्षेत्र के बाकी हिस्सों में विरोध की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर विधानसभा पारित नहीं कर सकेगी। इसलिए उस प्रदेश की विधानसभा उस पारित करके भेजे की यह राज्य बनना चाहिए। इसी क्राइटेरिया के आधार पर आज छत्तीसगढ़ के बारे में वे विरोध नहीं है जो झारखण्ड और उत्तरांचल के बारे में थे। यहां सर्वसम्मति से राय थी कि यह बनना चाहिए औऱ जितने भी लोग बोले है उन सभी ने इस बात को कहा है कि वहां पर, छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके में आज आनन्द की लहर छाई हुई है, यह बात सही है। हम इस आनन्द की लहर को निराशा में कभी भी परिवर्तित नहीं होने देंगे। यह हम सब की, केन्द्र की, प्रदेश की जवाबदेही है कि हम इसे समृद्दि का एक मार्ग बनाए। यह एक द्वार है समृद्दि की ओर जाने का, विकास की ओर जाने का। इस राज्य को बनाने का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि एक और मुख्य मंत्री बन जाएगा, और मंत्री बन जाएंगे। यदि हम इस हल्केपन से टिप्पणी करेंगे राज्यों के गठन पर तो न केवल उस क्षेत्र के लोगों के प्रति अन्याय करेंगे बल्कि मुझे लगता है कि तब हमारी सारी कसौटी केवल यह रह जाएगी कि खर्चा कम कैसे हो । लोकतंत्र का अपना खर्चा होता है, लोकतंत्र की अपनी कीमत है और वह उसे चुकानी पड़ती है। अगर छोटे राज्य हर हालत में खराब हैं तो फिर कोई भी किसी दिन कहेगा, जैसे हमारे टी.डी.पी. के मित्र ने कहा कि : आज जमाना आ गया, ग्लोबल विलेज बन गया है हमारे आई.टी. के विकास के कारण अब कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी जरूरत है । आज अगर कोई कहे क्योंकि आईटी का युग है और इसलिए हम सबसे बात कर सकते हैं। किसी ने यहां पर तमिलनाडु का जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश भी उसका हिस्सा था औऱ केरल भी उसका हिस्सा था और पांडिचेरी को उसमें मिला दो, सब को मिला दो । हो सकता है, कोई तर्क के नाते कह सकता है जब कि मैं मानता हूं कि एक-एक क्षेत्र की अपनी आइडेंटिटी भी

रहती है और इस आइडेंटिटी को नजर अंदाज करना, आइडेंटिटी की बिल्कुल चिंता न करना यह कोई उचित बात नहीं है। कारण अगर पांडिचेरी की आपने बात की तो स्वाभाविक रूप में मैं इतना ही ध्यान में रखता हूं कि पांडिचेरी के बारे में सोचूंगा तो दिल्ली साथ ही साथ है, विधान सभा भी साथ ही साथ है। अगर व्यावहारिक रूप से वहां पर- क्योंकि वहां चुनी हुई सरकार है, वहां विधान सभा भी है और वहां मंत्रिमंडल भी है और व्यावहारिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां जरूर आती है, लेकिन अगर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात नहीं है और जो बात एक्जीक्यूटिव आर्डर से हो सकती है तो मैं जरुर उस पर विचार करूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नही है क्योंकि मैं मानता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व ज्यादा होता है और उसी आधार पर हमें चलना चाहिए ।

सुरेश पचौरी जी ने जो एक बात कही वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव यह दिया कि अब जब दो राज्य बनेंगे तो दो राज्य बनने के अवसर पर वहां पर जो कर्मचारी हैं उनको आप्शन दिया जाए कि वह किस प्रदेश में जाना चाहते है। मैंने इसका पुराना इतिहास देखा। जब भी राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय इस पर एक बार विचार हुआ था, लिखा गया कि अगर स्टेटयूट में यह बात ले आयेंगे तो यह स्टेटयूटरी अधिकार हो जाएगा, यह प्रिसिडेंट बन जाएगा और इसके कारण समस्यायें पैदा होंगी। खासकर ऐसे प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, जहां पर जो नया राज्य बन रहा है वह बहुत छोटा है और वहां पर अगर यह अधिकार होगा कि वह कहां जाना चाहता है, वह इधर जाना चाहता है या उधर जाना चाहता है तो इसके कारण प्राबलम पैदा हो सकती है। लेकिन इस चीज का जो महत्व है उसको ध्यान में रखकर- मैं ध्यान दिलाउंगा कि इसमें व्यवस्था की गई है कि सर्विसेज के विभाजन के समय एक एडवाइजरी बोर्ड केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा जो देखे कि ठीक प्रकार और एक्युटेबल डिस्ट्रीव्यूशन हो। एक्युटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार के नाते भी इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि कौन कहां जाएगा। मैं स्टेटयूटरी राइट तो नहीं दे सकता हूं लेकिन इस बात को ध्यान में जरूर रखा जाएगा कि कौन कहां जाना चाहता है, कौन किस बात को पसंद करता है। लेकिन सेक्शन 71 में एडवाइजरी बोर्ड की जो व्यवस्था है वह इसमें है। मुझे विश्वास है कि तीनों राज्यों में हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

आज की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कल बहुत खुश हूंगा अगर समाजवादी पार्टी और सीपीएम भी कम से कम इन नये राज्यों के निर्माण के अवसर पर, सारा सदन जो है वह सामूहिक रुप से,- यह लोकसभा में भले ही न हुआ हो, राज्य सभा में यह सर्वसम्माति से कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आज के इस अवसर पर अगर हम यह शुरु कर सकें तो मैं बहुत खुश हूंगा। इन शब्दों के साथ मैं सारे सदन से अनुरोध करता हूं और सारे सदन की ओर से मैं छत्तीसगढ़ में बसने वाले पौने दो करोड़ निवासियों, भाई बहनों को जिन मे बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जनजाति की है, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति की हैं और बैकवर्ड क्लास की हैं उन सब को बहुत बहुत शुभकामनायें प्रस्तुत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सरकार वहां बनेगी, प्रदेश की वह सरकार और केन्द्रीय सरकार मिलकर उनके विकास के लिए पूरा पूरा जोर लगा देगी। बहुत बहुत धन्यावाद ।

उपसभापति : अभी होम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग भी हां बोल ही दीजिएगा, इसलिए कि मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं। इसलिए मैं भी आग्रह कर रही हूं कि आप लोग--

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) **:** आप छत्तीसगढ़ की तो नहीं हैं। अगर वहां की होती तो ---

उपसभापतिः जहां मेरी पैदायश है...Now I cannot change my place of birth. I know that you have said that development should take place. After saying that development should take place, let us show the spirit of unity, at least. Mr. Salim, if you comply with the spirit, I will be happy.

The question is :

> That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bil.

Clause 5 - Amendment of the First Schedule to the Constitution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On clause 5, there is an amendment by Shri L.K. Advani. Would you move?

SHRI L.K. ADVANI : Madam, I move :

> "That at page 3, line 4, *for* the figure *"27"* the figure "26" be *substituted. "*

The question was put and the motion was adopted

Clause 5, as amepded, was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 - Amendment of the Fourth Schedule to the Constitution

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Clause 7. There are two amendments, number one and two by Shri Bhagatram Manhar, आप नहीं मूव कर रहे हैं ?

श्री भगतराम मनहर : मैं मूव करना चाहता हूं। दो शब्द बोलना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : उन्होंने भाषण कर दिया है। आप अगर मूव करेंगे तो मैं आपको अनुमति दे सकती हूं। अगर मूव नहीं करेंगे तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आपको अनुमति दे सकती हूं।

ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप थर्ड रीडिंग में बोल दीजियेगा। मगर अमेंडमेंट मूव करेंगे तो ही परमिट कर सकती हूं। अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो थर्ड रीडिंग में आपको बोलने दूंगी ।

श्री भगतराम मनहर : मूविंग।...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know what, he is saying. I cannot hear. *..(Interruptions)...* aim ^ ?p *wi ^ f?*

श्री भगतराम मनहर : मैं मूव कर रहा हूं। दो शब्द बोलना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He is moving the amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I .am confused.

श्री भगतराम मनहर : माननीया उपसभापति जी,...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागड़ोदिया : ऊपर नीचे हो रहे हैं, मूव ही तो कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not talking about his movement. I am talking about moving of his amendment.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): मूव किया तो मूव किया लेकिन भाषण नहीं दिया जाता है।...(**व्यवधान**)...

Madam, if he has moved his amendments, let the House decide about them. There can't be a speech on these.

श्री सुरेश पचौरी : बहुत प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ बन रहा है।...(**व्यवधान**)...

उपसभापित : प्रसन्न होते तो अमेंडमेंट मूव नहीं लाते। वह पहले बोल चुके हैं। समय - नष्ट नहीं करे।...(**व्यवधान**)... Mr. Bagrodia, when you are in the Chair, you can tell him, *boliye, boliye.* When I am in control of the House, please don't say like that. We have to get the Bill passed.

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैंने कहा है मत बोलिये।...(**व्यवधान**)...

श्री भगत राम मनहर : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I am happy that you are helping me. Okay. Amendments on Clause 7 have riot been moved.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

Clause 12 - Provisions as to Legislative Assemblies

THE DEPUTY CHAIRMAN: C|ause12. There is an amendment by Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I move :

That at page 3, for line 44, the following be *substituted* namely:-

1	5
"5. Chhattisgarh ....90."	

The question was put and the motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 to 86 were added to the Bill.

The First Schedule

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are four amendments. Amendment Nos.3 and 4 are of Mr. Vikram Verma. Are you moving them? No. He is not moving them.

Amendment Nos.7 and 8. Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: I move:

"That at page 23, *for* lines 9-15, the following *be substituted* namely:-

(2) Of the five sitting members whose term of office will expire on the 30th day of June, 2004, namely, Shri O.Rajagopal, Shri Dilip Singh Judev, Shri Jhumuk Lai Bhendia, Shri Balkavi Bairagi and Miss Mabel Rebello, Shri Dilip Singh Judev and Shri Jhumuk Lai Bhendia both shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Chhattisgarh and other three sitting members shall be deemed to have been elected -to fill three of the seats allotted to the State of Madhya Pradesh."

"That at page 23, *for* lines 16-22, the following *be substituted* namely:-

(3) Of the six members whose term of office will expire on the 2nd day of April, 2006, namely, Shri Arjun Singh, Shri Kailash Joshi, Shri Bhagatram Manhar, Shri Hansraj Bhardwaj, Shri P.K. Maheshwari and Shri Vikram Verma, Shri Bhagatram Manhar, shall

be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Chattisgarh and other five members shall be deemed to have been elected to fill the five seats allotted to the State of Madhya Pradesh."

The questions were put and the motions were adopted.

The First Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

The Third Schedule

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is an amendment by Shri L.K Advani.

SHRI L.K. ADVANI: I move:

"That at page 31, for lines 4-5, the following be substituted namely:-

In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,-

(1) in paragraph 2 *for* the figures "XXII", the figures "XXIII" shall be

substituted;

(2) in the Schedule, after Part XXII, the following shall be inserted,

namely::-"

The question was put and the motion was adopted;-

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Fourth, Fifth, Sixth, Seventh and Eighth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and. the Title were added to the Bill.

उपसभापति : मनहरजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए.....(**व्यवधान**)...हां बधाई दे दीजिए।

श्री भगत राम मनहर : मैं गृह मंत्री जी का आभार व्कक्त करना चाहता हूं कि इस बिल को उन्होंने बहुत शालीनता के साथ लिया। मेरा एक ही निवेदन था कि हरियाणा सरीखे छोटे राज्य हैं जहां से राज्य सभा में 5 सांसद हैं, जम्मू काश्मीर से 4 हैं। उनके अनुपात के हिसाब से ज्यादा है । पंजाब के 7 हैं। मेरा निवेदन यह था कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य मे छत्तीसगढ़ जैसा इतना बड़ा स्टेट बनने जा रहा है तो उसका 5 की जगह अगर 6 कर दिया जाए तो कोई आपति नहीं होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन था और मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं।

उपसभापति : अब आप किधर रहेंगे? आप छत्तीसगढ़ चले जाएंगे या मध्य प्रदेश में रहेंगे?

श्री भगतराम मनहर : छत्तीसगढ़ में। इसीलिए तो 6 कीजिए। छत्तीसगढ़ नाम है।

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Mr. Salim. In spite of your 'no', I knew you meant 'yes'.

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने कहा कि 36 का एक आंकड़ा होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जगह यह कैंसिल हो गया है।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, आज 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है। इसलिए यह शुभ दिन है। इस नाते हमने यह बहुत शुभ कार्य किया है।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदया, छत्तीसगढ़ वालों को सदन की ओर से बधाई।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Statement of the Home Minister. Before you make it, Mr. Advani, I should make one announcement. This statement, as I said before, is coming on the request of the Leader of the Opposition and Mr. Mukherjee to the effect that as the situation changes in Kashmir, the Home Minister should come and apprise the House about it. So, there would be no clarification. This was the commitment. Members who have given their names for clarification, perhaps, do not know this commitment. I am not going to entertain them. The Home Minister can make the statement.

STATEMENT BY MINISTER

Situation in Jammu and Kashmir

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Madam, on July 24, 2000, the Hizbul Mujahideen announced a unilateral cease-fire and publicly expressed a willingness to initiate talks with the Government of India. The Government of India responded positively to the offer.

The people of Jammu and Kashmir enthusiastically welcomed the development.

Yesterday's announcement by Hizbul Mujahideen that the cease-fire has been withdrawn, has naturally come as a deep disappointment to all those who were looking forward to a return of peace to the Jammu and Kashmir State.